<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या – 2915/2022

फैजाबाद–अयोध्या विकास प्राधिकरण, फैजाबाद ... अपीलकर्ता

बनाम

डॉ. राजेश कुमार पांडे और अन्य ... प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या 2917/2022

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य. ... अपीलकर्ता

बनाम

बाबू और अन्य ...प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या – 2918/2022

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य. ...
अपीलकर्ता

बनाम

होराम सिंह और अन्य ... प्रत्यर्थी

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और

सिविल अपील संख्या – 2919/2022

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ... अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती मल्का बेगम और अन्य ...प्रत्यर्थी

नि र्ण य

माननीय न्यायमूर्ति एमआर शाह,

1. चूंकि अपीलों के इस समूह में विधि और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उठते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया है और इस समान निर्णय और आदेश द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।

2. व्यक्तिगत प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित रिट याचिकाओं में इलाहाबाद उच्च् न्यायालय द्वारा पारित सम्बन्धित आदेश एवं निर्णय से व्यथित एवं असंन्तुष्ट महसूस करते हुए यहाँ – वास्तविक भूस्वामि जिसके द्वारा उच्च् न्यायालय उक्त रिट याचिका का निस्तारण यह निर्देश देते हुए किया कि सम्बन्धित अपीलकर्ता गण – विकास प्राधिकरण के द्वारा वास्तविक भू स्वामि को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एतस्मिनपश्चात अधिनियम, 2013 के रूप में सन्दर्भित) के अनुसार मुआवजा जिस दिनांक पर अधिनियम 2013 लागू हुआ हो के आधार पर प्रदान करें अधिग्रहीत भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एतस्मिनपश्चात अधिनियम, 1894 के रूप में सन्दर्भित) की धारा 11 के तहत कोई मुआवजा नहीं बनता, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान अपील को प्रस्तुत किया गया है।

सिविल अपील संख्या – 2915/2022

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. फैजाबाद विकास प्राधिकरण (एतस्मिनपश्चात 'प्राधिकरण' के रूप में सन्दर्भित) ने फैजाबाद जिले के रानोपाली गांव में आवासीय परियोजना के लिए कुल 17.172 हेक्टेयर भूमि की मांग की थी।इसमें प्रतिवादी नं. 1 से 4 से संबंधित प्लॉट नं. 407, 413 और 415 में 03.13 हेक्टेयर भूमि शामिल थी (जिसे इसमें इसके बाद मूल भूस्वामियों के रूप में संदर्भित किया गया है).

3.1 धारा 4 और धारा 6 के साथ पढ़ी गयी धारा 17 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई।मूल भूस्वामियों ने उपरोक्त तीन भूखंडों के संबंध में अधिग्रहण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3810/2005 को प्रस्तुत किया।उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को उपरोक्त तीन भूखंडों का कब्जा लेने से रोकने के लिए अंतरिम रोक लगा दी।उपरोक्त तीन भूखंडों को छोड़कर, पूरी भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया था।यहां तक कि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय भी उपर्युक्त तीन भूखंडों के संबंध में, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीनता होने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण घोषित किया गया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसने हमें अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) (ए) के तहत संसद के वास्तविक इरादे के आलोक में इस मामले पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।इस प्रकार, पूर्वोक्त रिट याचिका में शामिल भूमि, अर्थात्, पूर्वोक्त तीन भूखंडों को छोड़कर, शेष संपत्ति का कब्जा 07.09.2005 को ले लिया गया था और उसमें अधिनिर्णय 10.04.2007 को प्रकाशित किया गया था.भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के संबंध में विभिन्न तारीखों पर कुल 5,11,60,606.00 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

3.2 दिनांक 27.09.2010 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अधिनियम, 1894 की धारा 48 (1) के तहत मूल भू–स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन/प्रत्यावेदन पर विचार करने के आदेश का निर्देश देकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कथित रिट याचिका संख्या 3810/2005 का निस्तारण किया है।यह कि उपयुक्त प्राधिकरण ने दिनांक 13.03.2012 के आदेश द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत मूल भू–स्वामियों के प्रत्यावेदन/आवेदन को खारिज कर दिया।यहाँ प्रत्यर्थी–मूल भू–स्वामियों ने फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका संख्या 41/ 2012 को प्राथमिकता दी।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3.3– उपर्युक्त रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, अधिनियम, 2013 लागू हुआ।उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका की सुनवाई के समय, मूल भू–स्वामियों–मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई पंचाट नहीं दिया गया है, इसलिए अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के प्रावधान आकर्षित होंगे और मूल भू–स्वामियों को अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित मुआवजे का हकदार होगा।

3.4– आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि इसमें प्रत्यर्थी –मूल रिट याचिकाकर्ता–मूल भू–स्वामी अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश के अनुसार, अब मूल भू–स्वामियों/मूल रिट याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजे का भुगतान करना होगा, फैजाबाद–अयोध्या विकास प्राधिकरण, फैजाबाद ने वर्तमान अपील दायर की है।

सिविल अपील संख्या – 2917/2022

4. 20 जुलाई, 2017 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अधिनिर्णय की घोषणा आदेश और अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत मुआवजा निर्धारित करने का निर्देश दिया है और इसके परिणामस्वरूप, यहां के मूल भूमि मालिक अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजे के हकदार होंगे।इसलिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील दायर की है।

4.1– उच्च न्यायालय के समक्ष, रिट याचिका में, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी कि अधिनिर्णय अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन के दो साल के भीतर नहीं दिया गया था और इसलिए, अधिनियम, 1894 की धारा 11 ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अधिग्रहण व्यपगत हो गया है।4. 2 तथापि, रिट याचिका की सुनवाई के दौरान और अधिनियम, 2013 के अधीन

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रतिकर का अवधारण और सदाय करने की किसी विनिर्दिष्ट प्रार्थना के बिना , मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के उपबंधों का अवलंब लिया और प्रति शपथ पत्र के पैरा 20 का अवलंब लिया जिसमें यह कहा गया था कि अधिनिर्णय अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अधीन नहीं दिया गया है और इसलिए, अधिनिर्णय अब अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के अधीन दिया जाएगा।

4.3– अपीलकर्ता की ओर से यह मामला था कि इस प्रकार अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अधीन पंचाट रिट याचिका विचाराधीनता होने और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए घोषित नहीं किया जा सकता था।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत अधिनिर्णय घोषित करने का निर्देश दिया है.

4.4– उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत पंचाट घोषित करने का निर्देश देते हुए पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील दायर की है।

सिविल अपील संख्या – 2918/2022 एवं सिविल अपील संख्या – 2919/2022

5. रिट याचिका संख्या – 29247/2011 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20.07.2017 दिनांकित आक्षेपित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न रिट याचिका संख्या 31806/2013 एवं सिविल अपील संख्या 2019/2022 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20.07.2017 का आक्षेपित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न् सिविल अपील संख्या – 2918/2022 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को निर्देश देते हुए समान आदेश पारित किए गये जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 24 (1) के तहत अधिनिर्णय की घोषणा करें एवं जिसके द्वारा मूल भू स्वामी अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा पाने के हकदार होगें जिसके मुरदाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

6. संबंधित विकास प्राधिकरण की ओर से विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. शुक्ला और संबंधित मूल भू–स्वामियों–मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सिंह पेश हुए हैं।

7. संबंधित विकास प्राधिकरण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने विकास प्राधिकरण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत अधिनिर्णय करने का निर्देश देने में गंभीर गलती की है और इस प्रकार मूल भूमि मालिक अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजे के हकदार होंगे।

7.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से अवलोकन नहीं किया है कि इस प्रकार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं विचाराधीनता होने और/या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन के कारण या तो प्राधिकरण को कब्जा लेने और/या यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने के कारण अधिनिर्णय घोषित नहीं कर सका।

7.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में,सिविल अपील संख्या – 2915/2022 में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल उपबंध लागू किया गया था एवं मुआवजे का 80% भी जमा किया गया था, हालांकि, अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीनता होने के कारण घोषित नहीं किया जा सका।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित मामले में, भूमि का इतना बड़ा क्षेत्र अधिग्रहित किया गया था, जिसमें यहां प्रत्यर्थी से संबंधित प्लॉट नं. 407, 413 और 415 शामिल हैं.यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त तीन भूखंडों को छोड़कर अधिनिर्णय वास्तव में अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषित किया गया था और उसमें यह भी कहा गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के मद्देनजर पूर्वोक्त तीन भूखंडों के संबंध में अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जा सकता था.यह प्रतिवाद किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीनता होने और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन के कारण अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत प्रश्नगत भूखंडों के संबंध में अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जा सका.

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7.3 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से सिविल अपील संख्या 2917,2918 और 2919 में पेश हुए विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार, अत्यावश्यकता खंड लागू होने के कारण, मुआवजे का 80% भी पहले ही जमा कर दिया गया था, हालांकि, अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीनता होने के कारण घोषित नहीं किया जा सका।

7.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक प्रस्तुतियों पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है कि पंचाट घोषित नहीं किया गया है और इसलिए वे अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत राहत के हकदार हैं।इस प्रकार, न तो रिट याचिकाओं में संशोधन किया गया और न ही विशिष्ट राहत के लिए प्रार्थना की गई, जिसमें प्राधिकरण (ओं) को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत पुरस्कार घोषित करने का निर्देश दिया गया।यह प्रतिवाद किया गया है कि किसी भी मामले में, एक बार रिट याचिका विचाराधीनता होने और/या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन के कारण पंचाट घोषित नहीं किया जा सकता है, तो भूमि मालिकों को अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह आग्रह किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी और/या प्राधिकरण की ओर से अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की घोषणा नहीं करने में कोई निष्क्रियता नहीं थी।

7.5 संबंधित विकास प्राधिकरण (ओं) की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ताओं ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129, विशेष रूप से, पैरा 366.8 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विस्तृत विचार–विमर्श के बाद और न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के प्रभाव पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद और प्रत्यास्थापन के सिद्धांत पर इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है कि (i) न्यायालय का कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा (ii) कोई भी असंभव कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है (iii) कानून किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है (iv) जहां कानून कोई कर्तव्य या प्रभार बनाता है और पार्टी बिना किसी चूक के उसका पालन करने के लिए अक्षम है और कोई उपचार नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे क्षमा कर देगा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(v) यह अधिनियम 2013 का आशय नहीं है, कि जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है उन्हें अधिनियम, 2013 की धारा 24 के तहत अनुध्यात उच्च मुआवजे का लाभ मिलना चाहिए।

7.6 संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से पेश हुए विद्वत वकील ने इंदौर विकास प्राधिकरण उपरोक्त के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 366.8 का बहुत अधिक भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को अपवर्जित किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समान समानता उस मामले में लागू होगी जहां प्राधिकरण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अस्तित्व के कारण अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत पंचाट की घोषणा नहीं कर सकता है.

7.7 उपरोक्त प्रस्तुतियां करने और इस न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण (पूर्वोक्त) के मामले में पैरा 284,285, 287,289, 293,297, 299,300, 301,302, 306,308, 309, 314, 315, 316, 317,318,319,320,321,323,324,325,326,329,334 और 335 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की जाती है।

8. मूल भूस्वामियों की ओर से पेश हुए विद्वत वकील ने भी **इंदौर विकास प्राधिकरण** उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, जिस क्षण यह पाया जाता है कि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनियम, 2013 के लागू होने के समय कोई भी अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है, तो भूमि मालिक अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत सीधे मुआवजे का हकदार होगा.

8.1 मूल भू–स्वामियों–मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) में इस आशय का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि अंतरिम स्थगन और/या रिट याचिका की विचाराधीनता की अवधि को

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपवर्जित किया जाएगा।इसलिए, अधिनियम के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार, एक अधिनियम को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है।

8.2 यह प्रतिवाद किया गया है कि विधायिका का आशय यह है कि एक बार अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जाता है, अधिनियम, 2013 के प्रारंभ के समय, अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप–धारा (1) के तहत अधिग्रहण के व्यपगत होने से बचाने के लिए, मूल भू–स्वामियों को अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजे के भुगतान द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विकास प्राधिकरणों को अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) के तहत अधिनिर्णय घोषित करने और परिणामस्वरूप अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण करने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8.3 यह प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है – सिविल अपील संख्या 2917, 2918 और 2919/2022 में मूल रिट याचिकाकर्ता इस तरह प्रतिउत्तर शपथ पत्र में, यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है, अधिनिर्णय अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत घोषित किया जाएगा।यह बताया गया है कि प्राधिकरण की ओर से दायर प्रतिउत्तर शपथ पत्र में दिए गए पूर्वोक्त रुख /प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिनिर्णय की घोषणा करने और अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.

8.4 उपर्युक्त प्रस्तुतियां देते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए और अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत अधिनिर्णय घोषित करने और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत संबंधित भू–स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया जाए।संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वत अधिवक्त को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए जो सवाल उठाया गया है वह हैः –

> क्या ऐसे मामले में जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई पंचाट प्राधिकरण द्वारा रिट याचिका और/या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विचाराधीनता होने के कारण घोषित नहीं किया जा सका, जो भूमि मालिकों द्वारा दायर किया गया था और इसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार लागू होने की तारीख को अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई पंचाट घोषित नहीं किया गया था, मूल भूमि मालिक अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप–धारा (1) के तहत निर्धारित मुआवजे के हकदार होंगे?

10. इस स्तर पर, अधिनियम, 1894 और अधिनियम, 2013 की धारा 24 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है, जो इस मामले में अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) (ए) के तहत उत्पन्न होने वाले प्रश्न के संदर्भ में अधिग्रहण की व्यपगत से संबंधित हैं, विशेष रूप से किसी न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के संदर्भ में और इसके परिणामस्वरूप 01.01.2014 को अधिनिर्णय नहीं दिया गया, जब अधिनियम, 2013 लागू किया गया था।अधिनियम, 1894 की धारा 11 और 11 क को निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

"11.कलेक्टर द्वारा जांच और अधिनिर्णय– (1) इस प्रकार नियत दिन या किसी अन्य दिन जिस पर जांच स्थगित कर दी गई है, जिलाधीश उन आपत्तियों (यदि कोई हो) की जांच करेगा जो धारा 9 के अधीन धारा 8 के अधीन किए गए मापों को दी गई सूचना के अनुसरण में किसी हितबद्ध व्यक्ति ने कही हैं और धारा 4, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के मूल्य की जांच करेगा और क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों की जांच करेगा और अपने हाथों से अधिनिर्णय देगा –

(i) भूमि का वास्तविक क्षेत्र

(ii) वह प्रतिकर जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, और

(iii) उक्त प्रतिकर को उन सभी व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करना जिनके बारे में भूमि में ज्ञात है या जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे हितबद्ध हैं, या जिनके दावों के बारे में उनके पास जानकारी है, चाहे वे उनके समक्ष क्रमशः उपस्थित हुए हों या नहीं:

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कलेक्टर द्वारा समुचित सरकार या ऐसे अधिकारी के, जिसे समुचित सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, पूर्व अनुमोदन के बिना कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाएगाः

परंतु यह और कि समुचित सरकार के लिए यह निदेश देना सक्षम होगा कि जिलाधीश ऐसे मामलों के ऐसे वर्ग में, जो समुचित सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसा अधिनिर्णय दे सकेगा।

(2). उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, जिलान्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, जो उसके समक्ष उपस्थित हुए हैं, समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित प्ररूप में कलेक्टर के अधिनिर्णय में शामिल किए जाने वाले मामलों पर लिखित रूप में सहमत हो गए हैं, तो वह आगे की जांच किए बिना ऐसे करार के निबंधनों के अनुसार पंचाट दे सकता है।

(3). उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि के लिए प्रतिकर का अवधारण इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार उसी स्थान में या अन्यत्र अन्य भूमि के संबंध में प्रतिकर के अवधारण को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा।

(4). पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (2) के तहत किया गया कोई भी समझौता उस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11क. अवधि जिसके भीतर पंचाट दिया जाएगा (1) कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत अधिनिर्णय देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है, तो भूमि के अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही व्यपगत होगीः

परन्तु ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68) के प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित की जा चुकी है, अधिनिर्णय ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10.1 अधिनियम, 2013 की धारा 24 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

24. 1894 के अधिनियम संख्या 1 के अधीन भूमि अर्जन प्रक्रिया कतिपय मामलों में व्यपगत हुयी समझी जाएगी–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन आरंभ की गयी भूमि अर्जन कार्यवाहियों के किसी मामले में –

(क) जहां कथित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई पंचाट नहीं दिया गया है, वहां मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे. या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन पंचाट दिया गया है, वहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी कार्यवाहियां इस प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन प्रारंभ की गई भूमि अर्जन कार्यवाहियों के मामले में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन पंचाट इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष या अधिक पूर्व दिया गया है, किंतु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियां व्यपगत हो गई समझी जाएंगी और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा करना चाहती है, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को नए सिरे से आरंभ करेगीः

बशर्ते कि अधिनिर्णय दिया गया हो और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया हो, तो, कथित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

10.2. अधिनियम, 1894 की धारा 11 कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो, जिन्हें भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जा सकता है, द्वारा अधिनिर्णय देने से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पूर्व की जाने वाली जांच से संबंधित है।तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 11ए में यह अधिदेश दिया गया है कि कलेक्टर घोषणा (उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन) के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 11 के अधीन पंचाट देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है तो भूमि के अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी।परन्तुक, इस मामले के प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं है।हालांकि, इस स्पष्टीकरण का महत्व है।इसमें कहा गया है कि धारा 11ए की उप–धारा 1 में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि की गणना आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्यवाही पर न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है।अतः, निहितार्थ यह है कि यदि कलेक्टर द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पंचाट पारित करने में निष्क्रियता बरती जाती है तो अधिग्रहण व्यपगत हो जाएगा। दो वर्ष की अवधि प्रदान करने और निर्धारित आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भूमि खोने वाले को उचित अवधि के भीतर अपनी भूमि के अधिग्रहण के अनुसरण में मुआवजे का भुगतान आदेश का आश्वासन दिया जाए, जिसे अधिनियम, 1894 की धारा 11 ए के तहत दो वर्ष कहा गया है।तथापि, दो वर्ष की उक्त अवधि की गणना करते समय वह अवधि, जिसके दौरान न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका, को बाहर करना पड़ेगा।

10.3 व्यपगत होने की अवधारणा को अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन भी उपबंधित किया गया है।हालांकि, इस मामले के उद्देश्य के लिए, इस पहलू पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि जहां अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत एक अधिनिर्णय अधिनियम, 2013 के लागू होने से पांच साल या उससे अधिक समय पहले दिया गया है (जो 01.01.2014 से प्रभावी था), लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिग्रहण की कथित कार्यवाही को व्यपगत माना जाएगा।इस न्यायालय ने इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामलें में अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 की व्याख्या की.... यह स्पष्ट रूप उपरोक्त पैरा में अवधारित किया गया है कि पाँच वर्ष के समय की गणना करते समय ऐसा समय जिसमें एक अन्तरिम आदेश कार्यकारी है को बाहर किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10.4 जैसा कि यह वाद सम्बन्धित है, अधिनियम 2013 की धारा 24 की उपधारा 1 के खंड 'अ' के द्वारा उपरोक्त कमी की व्याख्या करता है।उपर्युक्त उप–धारा की शुरुआत एक अनिवार्य खंड के साथ होती है और यह 17 में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की किसी भी कार्यवाही के मामले में अधिनियम, 2013 में किसी बात के होते हुए भी –

क). जहां अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, वहां मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे या

ख). जहां धारा 11 के अधीन पंचाट दिया गया है, वहां अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अधीन ऐसी कार्यवाहियां इस प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो।

10.5 अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा (1) प्रदान करने का उद्देश्य और प्रयोजन उन अधिग्रहणों को बचाना है जो अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ किए गए थे, जहां कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया था या जहां अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय दिया गया था।उपरोक्त दोनों स्थितियों के लिए संबंधित परिणाम अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप–धारा 1 के संबंधित खंड (ए) और (बी) में दर्शाए गए हैं।

10.6 इस मामले के प्रयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है वह अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 का खंड (क) है। इसे दोहराने के लिए, जब अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे।इसका मतलब है कि जब अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अधिनिर्णय अधिनियम, 2013 के लागू होने की तिथि अर्थात 01.01.2014 को नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अधिनियम, 2013 के प्रावधान मुआवजे के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे। शब्दो को लागू करने के लिए यह समझना आवश्यक है '' जहाँ

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम 1894 की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं पारित किया जाता है।'' इसका तात्पर्य यह है अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि यद्यपि उन कारण से जिन्हें अधिग्रहण प्राधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट या उप आयुक्त या जिला अधिकारी या विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी या तो जैसी भी स्थिति हो को जानकारी थी के लिए अधिनियम, 2013 के लागू होने की तिथि अर्थात 01.01.2014 तक अधिनिर्णय पारित नही किया गया।ऐसा अधिनिर्णय पारित न करने और अधिनियम, 2013 को लागू करने में जिलाधिकारी या भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से निष्क्रियता के कारण हो सकता है।ऐसे मामले में अधिनियम, 2013 के प्रावधान सीधे क्षतिपूर्ति के निर्धारण पर लागू होंगे।ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम, 1894 की तुलना में अधिनियम, 2013 अधिक लाभदायक विधान है।अधिनियम, 2013 के तहत देय मुआवजा निरस्त अधिनियम 1894 की तुलना में अधिक है।इस प्रकार, अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही में निरंतरता होगी।

10.7 हालांकि, कारणों को आत्मसात करने के प्रावधान में गहराई से जाना आवश्यक है कि अधिनियम, 2013 के लागू होने की तारीख को किसी मामले में जब अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण शुरू किया गया था, तो कोई निर्णय क्यों नहीं दिया गया होगा। निरसित अधिनियम है। इसका एक कारण यह होगा कि अधिग्रहण की कार्यवाही या तो भारत के संविधान 19 के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष या सिविल कोर्ट के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर करके कुछ राहत की मांग की जाती है, जिसमें अंतरिम आदेश शामिल होंगे लेकिन नहीं "आगे की कार्यवाही पर रोक", "बेदखल रहने" या "जमीन के मालिक के साथ–साथ अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी दोनों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने" तक सीमित है। ऐसे मामले में, जहां एक अंतरिम आदेश अधिग्रहणकर्ता प्राधिकारी के खिलाफ काम कर रहा होता, तो उक्त प्राधिकारी को अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय देने के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही में को आगे बढ़ाने से रोक देगा।

10.8 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, यदि कोई पंचाट घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जाता है, तो अधिनियम, 1894 की धारा 11क के तहत भूमि का अधिग्रहण व्यपगत हो जाएगा।किंतु दो वर्ष की उक्त अवधि की संगणना आदेश में वह अवधि,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिसके दौरान अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन घोषणा पर रोक लगाई जाती है और जिस अवधि के दौरान न्यायालय के आदेश द्वारा कोई कार्रवाई या आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, अपवर्जित की जाती है।लेकिन, अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप–धारा 1 के खंड (ए) के तहत, यदि उक्त अधिनियम के प्रवर्तन पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है , अर्थात 01.01.2014 को, तो अधिनियम, 2013 के प्रावधान मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

10.9 जब निरस्त अधिनियम और नए अधिनियम अर्थात् अधिनियम, 2013 में इन दोनों धाराओं को एक साथ एक समान तरीके से पढ़ा जाता है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या, किसी भूमि मालिक के धारा में दिए गए न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण, अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई पंचाट अधिनियम, 2013 के लागू होने की तारीख अर्थात 01.01.2014 को नहीं दिया गया है, तो इसका अर्थ यह होगा कि कलेक्टर/भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से निष्क्रियता के कारण अधिनिर्णय नहीं दिया गया है। इस प्रकार, क्या अधिनियम, 2013 के तहत लाभ को सीधे ऐसे भूमि मालिक पर लागू किया जाना चाहिए, जिसे अधिनियम, 2013 के लागू होने की तारीख अर्थात 01.01.2014 को अपने पक्ष में न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश का लाभ भी प्राप्त हो।

10.10 हम पाते हैं कि अभिव्यक्ति "जहां कथित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है" को संदर्भित रूप से पढ़ा जाना चाहिए न कि सादा पठन के माध्यम से।ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भूमि मालिक जिसके पास न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत जारी की गई घोषणा के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश है और इस प्रकार उसने कलेक्टर/भूमि अधिग्रहण अधिकारी को यह तर्क देते हुए अधिनिर्णय देने से रोक दिया है कि 01.01.2014 तक अधिग्रहणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अधिक मुआवजा प्राप्त करके अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

10.11 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, धारा 24 अधिनियम, 1894 के उपबंधों के तहत शुरू किए गए सभी अधिग्रहणों को बचाने और साथ ही, अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कुछ राहत प्रदान करने के लिए बचत खंड की प्रकृति में है, जैसे कि अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा 2 या इसकी धारा 24 की उप–धारा 1 के खंड (क) के तहत अधिग्रहण व्यपगत हो जायेगा।इसलिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर उक्त प्रावधानों को लागू करते समय, दोनों अधिनियमों के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक व्याख्या को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह धारा 24 की उप–धारा 1 के खंड (बी) के पठन पर भी स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पंचाट अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत 01.01.2014 को दिया गया है, अर्थात अधिनियम, 2013 के लागू होने की तारीख, तो अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही जारी रहेगी, मानो उसे निरस्त नहीं किया गया हो।लेकिन यदि 01.01.2014 को कोई पंचाट नहीं दिया गया है तो धारा 24 की उप–धारा 1 का खंड (क) लागू होगा।

10.12 इस प्रकार, यह आवश्यक है कि उन कारणों पर ध्यान दिया जाए कि क्यों कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यदि कलेक्टर या अधिग्रहित प्राधिकारी पर संयम का कोई आदेश है और जिसके परिणामस्वरूप, कलेक्टर या भूमि अधिग्रहण अधिकारी अपने नियंत्रण से परे कारणों से और भूमि मालिक या किसी अन्य व्यक्ति जिसने अधिग्रहण पर सवाल उठाया हो, के कहने पर अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में, उस अवधि की गणना की जानी है जिसके दौरान अंतरिम आदेश लागू हुआ है और यदि अधिनियम, 2013 के लागू होने की तारीख अर्थात 01.01.2014 को, भूमि मालिक के पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए इस तरह के अंतरिम आदेश के लागू होने के कारण कोई भी अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तो अधिनियम 2013 के प्रावधान सीधे मुआवजे के निर्धारण में लागू नहीं किए जा सकते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि अंतरिम आदेश लागू न होता तो अधिनिर्णय अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के तहत 31.12.2013 तक दिया जा सकता था और फिर अधिनियम, 1894 के प्रावधान धारा 24 की उप–धारा 1 के खंड (बी) के अनुसार 22 के रूप में लागू होते। लेकिन दूसरी ओर, भूमि मालिक के पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के लागू होने के कारण, यह अधिनिर्णय 01.01.2014 को नहीं दिया गया होता जब अधिनियम, 2013 लागू किया गया था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10.13 ऐसी स्थिति में हमारे विचार में अधिग्रहणकर्ता प्राधिकारी पर अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन प्रतिकर के अवधारण का भार नहीं डाला जा सकता।दूसरे शब्दों में, एक तरफ भूमि का मालिक अधिग्रहण की आलोचना नहीं कर सकता और अधिकारियों को अधिग्रहण में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग नहीं कर सकता है, और दूसरी तरफ, यह तर्क नहीं दे सकता है कि चूंकि अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत 01.01.2014 को कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, इसलिए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को मुआवजा निर्धारित करने में लागू किया जाना चाहिए।

11. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप–धारा (2) की व्याख्या करने पर, इंदौर विकास प्राधिकरण उपरोक्त में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अंततः पैराग्राफ 366.8 में निष्कर्ष निकाला हैः

> **"366.8**. धारा 24(2) के प्रावधान कार्यवाही की एक समझी गई चूक के लिए प्रदान करते हैं, यदि प्राधिकरण भूमि के लिए एक कार्यवाही में 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक के लिए कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में उनकी निष्क्रियता के कारण विफल रहे हैं, तो लागू होते हैं, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकारी के द्वारा 1–1–2014 तक लम्बित रही हैन्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जाना है।

11.1 ऐसा करते हुए और कुछ समान प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 284, 285, 287, 289, 293, 297, 299, 300, 301, 302, 306, 308, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 334 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की हैः

> **"284 –** विभिन्न प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार करने से पहले अधिनियम 2013 की धारा 24 की व्याख्या एवं उद्देश्य पर विचार करना एक महत्पूर्ण प्रश्न है। धारा 24 यह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अवधारित है कि यदि अधिनियम 1894 के तहत प्रारम्भ की गई कार्यवाही अधिनियम 2013 के लागू होने की तिथि तक लम्बित रहती है और इन कार्यवाहीं में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है या यहाँ पर कोई चूक नहीं की गई है तो केवल अधिनियम 2013 के तहत मुआवजे का निर्धारण करना होगा। जहाँ पर कोई अधिनिर्णय पारित किया जाता है, यह धारा 24(1)(b) में उपबंधित किया गया है कि लम्बित कार्यवाही अधिनियम 1894 के तहत चलती रहेंगी मानों की अधिनियम निरसित नहीं हुआ है। अधिनियम, 2013 के प्रावधान किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता को पूरी तरह से वर्जित करते हैं, धारा 24(2) के तहत दो आवश्यकताएं हैं, जिन्हें अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाना है, 2013 के अधिनियम के शुरू होने से 5 साल या उससे अधिक पहले अधिनिर्णय दिया गया है, जहां भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।यदि कब्जा ले लिया गया है, तो अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों को मुआवजा देना होगा।अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए पांच साल का समय प्रदान किया गया है, न कि मामलें को लेकर चुपचाप बैठने के लिए। अधिकारियों की ओर से सुस्ती या मशीनरी और चूक के मामले में और किसी अन्य कारण के लिए चूक प्रदान की जाती है।लैप्स केवल भूमि अधिग्रहण आदेश वाले अधिकारियों द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में प्रदान की जाती है, जो किसी अन्य कारण या न्यायालय के आदेश के कारण नहीं है।जब इस प्रावधान की व्याख्या स्पष्ट है, तो अंतरिम आदेश की अवधि को अपवर्जित करने के लिए संसद को धारा 24 (2) के तहत ऐसा प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।हालांकि इसने धारा 19(7) के परंतुक के तहत घोषणा करने के लिए अंतरिम आदेश की अवधि को बाहर रखा है और 2013 के अधिनियम की धारा 69 के तहत की गणना के लिए भी बहिष्करण किया गया है। यह प्रावधान की भाषा को देखते हुए ऐसा प्रदान करने की आवश्यकता के कारण है। 2013 अधिनियम की धारा 69 के तहत, धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है।किसी भी न्यायालय के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अतिरिक्त मुआवजे को बाहर रखा गया है।धारा 24 के उपबंधों ने प्राधिकारियों पर ऐसे कदम उठाने की बाध्यता डाली है जिसका अर्थ है कि वे ऐसे कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी ओर से निष्क्रियता या सुस्ती पर संसद द्वारा विचार नहीं किया गया है।परिणामतः, कार्यवाहियों का लोप होता है।प्रावधानों की प्रकृति ही ऐसी है कि यदि किसी कारण से अधिकारियों या सरकार के लिए आवश्यक कदम उठाना संभव नहीं है तो उस अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।संबंधित मंत्री श्री जयराम रमेश ने बहस का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के लिए पांच वर्ष की समय–सीमा निर्धारित की गई है।यदि हम अंतरिम आदेश की अवधि को अपवर्जित नहीं करते हैं, तो प्रावधान की मूल भावना का उल्लंघन किया जाएगा।

285. कार्यकारी अधिकारियों के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए अवधि के निर्धारण के संबंध में, डीडीए बनाम सुखबीर सिंह [(2016) 16 एससीसी 258] के वाद में देखा गया कि विधायिका वास्तव में कार्यपालिका को बता रही है कि उन्हें चाहिए अपने घर को व्यवस्थित कर लिया है और अधिनिर्णय की घोषणा के बाद एक उचित समय के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली है।पांच साल की छूट के बाद भी ऐसा न करने पर विधायी सहिष्णुता की सीमा को पार कर जाएगा, जिसके बाद पूरी कार्यवाही व्यपगत हो गई मानी जाएगी।इस प्रकार, यह डीडीए बनाम सुखबीर सिंह [(2016) 16 एससीसी 258] के निर्णय से स्पष्ट है, जिस पर भू–स्वामियों द्वारा भरोसा किया जाता है, कि कार्यकारी प्राधिकारियों के लिए कदम उठाने के लिए समय–सीमा निर्धारित की जाती है।यदि न्यायालय के आदेश द्वारा उन्हें रोका जाता है, तो स्पष्ट रूप से, 25 उपबंधों के निर्वचन के अनुसार यह है कि ऐसी अवधि को अपवर्जित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा उपबंध किया गया होता तो इसे अत्यधिक चेतावनी के साथ किया जाना चाहिए।विधान के निर्माण के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के बावजूद ऐसा प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।तथापि, अपवर्जन का उपबंध अधिनियमित किया गया है।यह प्राधिकारियों पर पांच वर्षों के भीतर अपेक्षित कदम

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उठाने की बाध्यता डालता है, जो अपने आप में अंतरिम आदेश की ऐसी अवधि को अपवर्जित करता है।

X X X X

287. 2013 के अधिनियम का आशय केवल वादियों को लाभ पहुंचाना नहीं है।इसने एक नई व्यवस्था शुरू की है जो भूमि मालिकों के लिए फायदेमंद है।धारा 24 के प्रावधान अपने आप में मुकदमा करने वाले पक्षों को लाभ प्रदान करने का इरादा नहीं रखते हैं, जबकि 2013 के अधिनियम की धारा 114 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के अनुसार 1894 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना है।

X X X X

289. इस न्यायालय की राय में 2013 के अधिनियम का आशय यह नहीं है कि जिन लोगों ने मुकदमा किया है उन्हें उच्च मुआवजे का लाभ मिलना चाहिए जैसा कि धारा 24 के तहत विचार किया गया है, सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है।प्रावधानों का यह आशय नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने मुकदमा दायर किया है और क्रमानुसार वे व्यक्ति जिन्होंनें मुकदमा दायर उन्होनें अंतरिम आदेश प्राप्त किया है एवं उनकों 2013 के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने 5 साल के भीतर मुआवजा स्वीकार कर लिया है और कब्जा भी सौंप दिया है, उन्हें लाभ होगा, अगर अधिकांश बकायें के संबंध में राशि जमा नहीं की गई है। ऐसे मामले हैं जिनमें परियोजनाएं आंशिक रूप से शुरू की गई हैं और योजना के अनुसार शेष क्षेत्र योजनाबद्ध विकास के लिए आवश्यक है जिसके संबंध में अंतरिम स्थगन प्राप्त किया गया है।अथक मुकदमेबाजों को लाभ पहुंचाना कानून का उद्देश्य नहीं है।इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 26 अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण 5 वर्षों के भीतर कब्जा नहीं लिया जा सका। लोक नीति मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने की नहीं है बल्कि इसे समाप्त करने की है।कई उदाहरणों में , विभिन्न उच्च न्यायालयों में

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एकल न्यायाधीश पीठों द्वारा रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं और रिट अपीलें लंबे समय से लंबित थीं और जिनमें परियोजनाओं की भूमि के एक हिस्से के संबंध में धारा 24 (2) का लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे।हमारे विचार में संसद का इरादा ऐसे वादियों को उपरोक्त कारणों से लाभ प्रदान करने का नहीं था।मुकदमेबाजी तुच्छ या योग्य हो सकती है।ऐसे वादियों को अपने स्वयं के मामले के बल पर खड़ा होना पड़ता है और ऐसे मामले में 2013 अधिनियम की धारा 114 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान स्पष्ट रूप से आकर्षित होते हैं और इस तरह की कार्यवाही के प्रावधानों के तहत जारी रखा जाना है पुराना अधिनियम जो 2013 के अधिनियम की धारा 24(1)(बी) की भावना में होगा। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (बी) में प्रावधान है कि निरसन इस प्रकार निरसित किसी भी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या उसके तहत विधिवत रूप से किया गया या पीड़ित कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।धारा 6 (ग) में कहा गया है कि इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर निरसन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।जब धारा 24 (बी) में प्रावधान के अनुसार धारा 24 (बी) के प्रयोजनों के लिए 1894 के अधिनियम के तहत अधिनिर्णय पारित किया गया है, तो धारा 114 के प्रावधान स्पष्ट रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान धारा 24 के गैर–बाध्यकारी खंड की सीमा तक, जहां कब्जा नहीं लिया गया है या भुगतान नहीं किया गया है, वहां अधिकारियों की निष्क्रियता से एक चूक होती है, ।किसी भी न्यायालय के अंतरिम आदेश को प्राधिकारियों या एजेंसियों की निष्क्रियता नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार धारा 24 (2) में परिकल्पित 5 वर्ष की अवधि की गणना के लिए समय अवधि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।धारा 24 (2) के प्रावधान के अनुसार, जहां कब्जा ले लिया गया है, लेकिन अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान या जमा नहीं किया गया है, वहां सभी लाभार्थी केवल उस सीमा तक ही अधिक मुआवजे के हकदार होंगे, 2013 अधिनियम की धारा 114 के प्रावधानों का अधिक्रमण किया जाएगा, लेकिन यह सामान्य खंड अधिनियम, 1897

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की धारा 6 के सामान्य उपयोग को समाप्त नहीं करेगा, जो धारा 24 (2) और इसके प्रावधान के रूप में प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर निरस्त के प्रभाव से संबंधित है।

X X X X

293. उपर्युक्त प्रस्तावों के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता। तथापि, वर्तमान मामले में, जब हम धारा 24 के उपबंधों का अर्थान्वयन करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के अंतरिम स्थगन के दौरान व्यतीत की गई अवधि को हटा देता है।कार्रवाई करने के उद्देश्य से पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की जाती है, यदि उन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्रवाई नहीं की है, तो चूक होती है, अन्यथा नहीं।यदि न्यायालय के आदेश के कारण अंतरिम स्थगन के संबंध में न्यायालय की कार्यवाहियों में बिताए गए समय के अपवर्जन के संबंध में कोई उपबंध किया गया होता तो यह अत्यधिक चेतावनी का मामला हो सकता था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम मोदी रबड़ लिमिटेड [(1986) 4 एस. सी. सी. 66] में विचार किया गया है।मोदी रबड़ लिमिटेड [(1986) 4 एस. सी. सी. 66] में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गयी थीः(एससीसी पृष्ठ 72–74, पैरा 7)

> 7. इन दोनों अधिसूचनाओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के तहत जारी किया जाता है और चूंकि नियम 2, खंड (v) में 'शुल्क' की परिभाषा को अनिवार्य रूप से नियम 8 (1) में पेश किया जाना चाहिए और नियम 8 (1) में 'उत्पाद शुल्क' की अभिव्यक्ति को उस परिभाषा के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, नियम 8 (1) के तहत जारी इन दो अधिसूचनाओं में उपयोग की गई समान अभिव्यक्ति का भी उसी अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए, अर्थात्, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क और इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत दी गई छूट को केवल उत्पाद शुल्क के ऐसे ही

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रूप में सीमित माना जाना चाहिए।लेकिन प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क 28" बड़े आयाम में से एक था और किसी भी प्रतिबंधात्मक या सीमित शब्दों की अनुपस्थिति में यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगने वाले उत्पाद शुल्क को संदर्भित करना था। , इसे उत्पाद शुल्क के सभी कर्तव्यों को कवर करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, चाहे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत या किसी अन्य अधिनियम के तहत लगाया जा सकता है

प्रत्यर्थीयों ने इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि जब भी केंद्र सरकार एक अधिसूचना के तहत दी गई छूट को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगने वाले उत्पाद शुल्क तक सीमित करना चाहती है, तो केंद्र सरकार ने इसका उपयोग करके अपने इरादे को इस प्रकार के शब्दों को कहकर स्पष्ट कर दिया जैसे केन्द्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत उत्पाद शुल्क का देय होना ..... केन्द्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का देय होना या उपरोक्त अधिनियम की अधिसूचना सख्यां – सी ई आर–8 (3)/55– सी ई दिनांकित 17–09–1955, अधिसूचना सख्यां – सी ई आर– 255/77– सी ई दिनांकित 20–07–1977, अधिसूचना सख्यां – सी ई आर– 8(1)/55– सी ई दिनांकित 02–01–1955] अधिसूचना सख्यां – सी ई आर–8 (9)/55– सी ई दिनांकित 31–12–1955, अधिसूचना सख्यां – सी ई आर– 95/61– सी ई दिनांकित 01–04–1961 एवं इसी प्रकार के अन्य अधिसूचनाएं। लेकिन, यहां प्रतिवादी कहा कि प्रश्न में दो अधिसूचनाओं में परिसीमा के ऐसे किसी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए, 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति को उसके सामान्य प्राकृतिक अर्थ के अनुसार पढ़ा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जाना चाहिए, जिसमें उत्पाद शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं, जिसमें उत्पाद शुल्क के विशेष शुल्क और उत्पाद के सहायक शुल्क शामिल हैं.अब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में, केंद्र सरकार ने नियम 8 (1) के तहत छूट प्रदान करते समय, निर्दिष्ट भाषा का उपयोग किया है, जो यह दर्शाता है कि ऐसी प्रत्येक अधिसूचना के तहत दी गई छूट, कुल या आंशिक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के तहत है। लेकिन, केवल इसलिए कि, प्रारूपण के मामले के रूप में, केंद्र सरकार ने कुछ अधिसूचनाओं में विशेष रूप से उत्पाद शुल्क का उल्लेख किया है, जिसके संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत उद्ग्रहणीय 'उत्पाद शुल्क' के रूप में छूट दी जाती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि विशिष्टता के ऐसे शब्दों के अभाव में, 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति को स्वयं ही उत्पाद शुल्क के सभी शुल्कों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।यह असामान्य नहीं है कि विधानमंडल कभी–कभी अपने आशय को संदेह से परे स्पष्ट करने की दृष्टि से भाषा का उपयोग करता है, हालांकि यह सख्ती से आवश्यक नहीं हो सकता है और इसके बिना भी उसी आशय को न्यायिक निर्माण के मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यह कार्यपालिका द्वारा अधीनस्थ विधान के मामले में अधिक होगा।कार्यकारी विभाग में अधीनस्थ विधान के किसी विशिष्ट भाग का प्रारूपण करने वाला अधिकारी इस दृष्टि से शब्दों का प्रयोग कर सकता है कि उसके आशय के बारे में या कभी–कभी अधिक पूर्णता के लिए कोई संदेह की गुंजाइश न रहे, हालांकि ये शब्द अधीनस्थ विधान के अर्थ और व्याप्ति में कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। यहां, वर्तमान अधिसूचनाओं में, 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क' शब्दों को प्रतिवादीदाताओं द्वारा भरोसा की गई अन्य अधिसूचनाओं की तरह स्थान नहीं मिला है।लेकिन

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इससे यह अनुमान लगाना जरूरी नहीं है कि इन अधिसूचनाओं में 'उत्पाद शुल्क' का आशय उत्पाद शुल्क के विशेष और सहायक शुल्कों सहित सभी उत्पाद शुल्कों को संदर्भित करना था।इन शब्दों की अनुपस्थिति हमें इन अधिसूचनाओं में 'उत्पाद शुल्क' की अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है।हमें अभी भी इस अभिव्यक्ति का अर्थ लगाना है –इसका अर्थ और आयाम क्या है–और इसे उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाना है जिसमें यह होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अधिसूचनाएं नियम 8 (1) के तहत जारी की गई हैं, इन अधिसूचनाओं में 'उत्पाद शुल्क' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होना चाहिए जो नियम 8 (1) में है और इसका स्पष्ट अर्थ है –केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत देय उत्पाद शुल्क जैसा कि नियम 2 खंड (v) में परिकल्पित है।इन परिस्थितियों में विशेष उत्पाद शुल्क और सहायक उत्पाद शुल्क को शामिल करने के लिए इसका एक विस्तारित अर्थ नहीं हो सकता। (प्रभाव वर्धित)

X X X X

297. श्री बालाजी नगर रेजीडेंशियल असोसिएशन [श्री बालाजी नगर रेजीडेंशियल असोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2015) 3 एससीसी 353] के निर्णय की शुद्धता पर योगेश नीमा [योगेश नीमा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2016) 6 एससीसी 387] के मामलें में संदेह किया गया था और मामले को एक वृहद न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया था। श्री बालाजी नगर रेजीडेंशियल असोसिएशन [श्री बालाजी नगर रेजीडेंशियल असोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2015) 3 एससीसी 353] में निम्नलिखित अवधारित किए गए थेः(एससीसी पृष्ठ 361, पैराग्राफ 11–12)

11. 2013 के अधिनियम की धारा 24 को सीधे पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) किसी भी अवधि को बाहर नहीं

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

करती है, जिसके दौरान किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए रोक या निषेधाज्ञा के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रुकी हुई हो सकती है।इसी अधिनियम में, धारा 19(1) के परन्तुक के तहत घोषणा के प्रकाशन के लिए परिसीमन के संदर्भ में धारा 19(7) के प्रावधान और उसके संदर्भ में भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए धारा 69(2) के लिए स्पष्टीकरण धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना और अधिनिर्णय की तारीख के बीच देरी, विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि अवधि या अवधि जिसके दौरान किसी भी अदालत के आदेश द्वारा किसी भी रोक या निषेधाज्ञा के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही को रोक दिया गया था, प्रासंगिक अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मामले के उस दृष्टिकोण से, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर आदेश 24 (2) में उल्लिखित पांच वर्षों की अवधि को बढ़ाने का लोप किया है, भले ही किसी न्यायालय द्वारा दिए गए रोक या व्यादेश के कारण कार्यवाही में विलंब हुआ हो।इस न्यायालय द्वारा पद्मा सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य [(2002) 3 एससीसी 533] वाले मामले में विस्तार से चर्चा किए गए विषय पर कानून की दृष्टि से न्यायालय द्वारा ऐसे मामले की आपूर्ति नहीं की जा सकती है।

12. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में भी, विधायिका ने 1984 के एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से धारा 6 में संशोधन किया था ताकि उस अवधि को बाहर करने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण 1 जोड़ा जा सके जब कार्यवाही को रोक दिया गया था। अधिनियम की धारा 6(1) के तहत घोषणा को प्रकाशित करने के लिए प्रदान की गई सीमा के संदर्भ में अदालत का एक आदेश इसी तरह के प्रभाव के लिए धारा 11–ए की व्याख्या थी, जिसे 1984 के संशोधन अधिनियम 68 द्वारा जोड़ा गया था।स्पष्ट रूप से, विधायिका ने अपने विवेक से, 2013

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत पांच साल की अवधि को पूर्ण बना दिया है और न्यायालय द्वारा स्थगन के किसी भी आदेश के कारण कार्यवाही में किसी भी देरी से प्रभावित नहीं हुआ है।विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए स्पष्ट शब्द स्पष्ट हैं और इनसे कोई अस्पष्टता या टकराव पैदा नहीं होता है।ऐसी स्थिति में न्यायालय को व्याख्या के शाब्दिक नियम से हटने की जरूरत नहीं है।

X X X X

299. ऐसे मामलों में जहां कुछ भू–स्वामियों ने मुकदमेबाजी का सहारा लिया है (जिस पर उनका अधिकार है) और यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, प्राधिकारियों या राज्य के अधिकारियों के लिए व्यवहारिक वास्तविकता के रूप में कब्जा लेना या मुआवजे का भुगतान करना संभव नहीं है।कई मामलों में, इस तरह के अंतरिम आदेशों ने भी अधिनिर्णय देने में रूकावट डाली।अब, जहां तक अधिनिर्णय (और ऐसी कार्यवाहियों के अनुसरण में मुआवजा भुगतान) का संबंध है, 2013 अधिनियम (सिक 1894 अधिनियम) के तहत अधिनिर्णय देने के लिए प्रदान की गई अवधि को धारा 11–ए के स्पष्टीकरण के आधार पर अपवर्जित किया जा सकता है। **[11–ए. अवधि जिसके भीतर अधिनिर्णय दिया जाएगा।]** कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत अधिनिर्णय देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है।(ख) भूमि के अर्जन के लिए पूरी कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी:बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां कथित घोषणा भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के लागू होने से पहले प्रकाशित की जा चुकी हो, अधिनिर्णय ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा।स्पष्टीकरण–इस धारा में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि की गणना आदेश में वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, अपवर्जित कर दी जाएगी।] इस प्रकार, अधिकारियों को निष्क्रियता का कोई दोष नहीं दिया जा सकता है और जिन्होंने इस तरह के अंतरिम

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आदेश प्राप्त किए हैं, वे मुकदमेबाजी दायर आदेश में अपनी स्वयं की कार्रवाई से लाभ नहीं उठा सकते, जो सराहनीय हो या नहीं हो सकता है।मेरिट के सवाल के अलावा, जब यथास्थिति बनाए रखने या आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के संबंध में कोई अंतरिम आदेश होता है, तो अधिकारी न तो कार्रवाई कर सकते हैं और न ही वे मुआवजा दे सकते हैं।उनके दायित्व भूमि अधिग्रहण की योजना के साथ जुड़े हुए हैं।यह देखा गया है कि प्राधिकारी अंतरिम आदेश समाप्त होने तक कार्यवाही में इंतजार कर सकते हैं।

300. हमारी सुविचारित राय में, भू–स्वामियों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी का विनिश्चय अपने गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए और धारा 24 (2) के लाभ वादियों को उपलब्ध नहीं होने चाहिए। यदि कोई अंतरिम आदेश नहीं है, तो वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे हकदार हैं, अन्यथा मुकदमेबाजी, देरी और विलंबकारी रणनीति के परिणामस्वरूप नहीं और कभी –कभी यह पूरी तरह से तुच्छ अभिवचन और जाली दस्तावेज हो सकते हैं जैसा कि वी. चंद्रशेखरन [वी. चंद्रशेखरन बनाम प्रशासनिक अधिकारी, (2012) 12 एससीसी 133] में ऊपर उल्लिखित है।

"301. अभय राम बनाम भारत संघ [(1997) 5 एससीसी 421] में, इस न्यायालय ने" "कार्रवाई या कार्यवाही के स्थगन" "शब्दों के विस्तारित अर्थ पर विचार किया।"यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों की ओर से एक अवरोधक कार्रवाई होगी.इस न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त कियाः(एससीसी पृष्ठ 428–29, पैरा 9)

> 9. इसलिए, बीआर गुप्ता बनाम भारत संघ [1988 एससीसी ऑनलाइन डेल 367] में दिए गए कारण धारा 6 के सापेक्ष्य उपरोक्त रिट याचकाकर्ता की घोषणा के प्रकाशन को रद्द करने के संदर्भ में स्पष्ट हैं।विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या धारा 6 के तहत प्रत्यर्थियों को घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त रोक समान रूप से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ताओं से संबंधित मामलों पर लागू होगी।हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अपीलार्थियों ने घोषणा के प्रकाशन का कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया था, लेकिन चूंकि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय ने, वास्तव में, इसमें इसके पहले उद्धृत रूप में, उन्हें घोषणा के प्रकाशन से प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए आवश्यक रूप से, जब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के समर्थन में घोषणा को प्रतिबंधित नहीं किया है, तो अधिकारियों को मामलों का निपटारा होने तक अपने हाथ रोके रखने पड़े।वास्तव में, इस न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्थगन या कार्यवाही के आदेशों को विस्तारित अर्थ दिया है , अर्थात्, यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेंडोलिया बनाम गुजरात राज्य [(1991) 4 एससीसी 531], हंसराज एच जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1993) 3 एससीसी 634], संगप्पा गुरुलिंगप्पा सज्जन बनाम कर्नाटक राज्य [(1994) 4 एससीसी 145], गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य [(1993) 2 एससीसी 662], जी नारायणस्वामी रेड्डी v. कर्नाटक राज्य [(1991) 3 एससीसी 261] और रोशनीरा बेगम बनाम भारत संघ [1996 की नागरिक अपील संख्या 13976 उप नाम मुरारी बनाम भारत संघ, (1997) 1 एससीसी 15] शब्द "कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक" की इस न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है और इसका अर्थ है कि इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार के आदेश आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों की ओर से एक निरोधात्मक कार्रवाई होगी। जब धारा 5–ए के तहत जांच करने की कार्रवाई को मुद्दा बनाया गया और धारा 6 के तहत घोषणा पर सवाल उठाया गया, तो आवश्यक रूप से जब तक न्यायालय यह नहीं मानता है कि धारा 5–ए के तहत जांच उचित तरीके से की गई थी और धारा 6 के तहत प्रकाशित घोषणा वैध थी, तो अधिकारियों को मामले में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी।नतीजतन, कुछ के संबंध में दी गई रोक उन लोगों पर भी लागू होगी जिन्होंने इस संबंध में स्टे प्राप्त नहीं किया था।हम धारा ५ –ए की जांच और आपत्तियों पर विचार के संबंध में पहले के निर्देश की शुद्धता से चिंतित नहीं हैं

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

क्योंकि इसे प्रतिवादी संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।हम इसकी शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, हालांकि यह संदेह के लिए खुला है।

302. ओम प्रकाश बनाम भारत संघ [(2010) 4 एससीसी 17] में, यह देखा गया कि भूमि मालिकों के एक मामले में दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश से अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रतिवादी पर पूर्ण नियंत्रण होगा।(एससीसी पृष्ठ 44, पैरा 72)

> **"72.** इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, भूस्वामियों के मामलों में से एक में दिए गए स्थगन का अंतरिम आदेश प्रतिवादियों पर अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा। यदि उन्होंने उक्त अधिसूचना उस अवधि के दौरान जारी की थी जब स्थगन लागू था, तो जाहिर है कि उन्हें अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। स्थगन के अंतरिम आदेशों में प्रयुक्त भाषा भी ऐसी है कि इसने अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा/अधिसूचना जारी करके प्रतिवादियों को मामले में आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया था।
>
> X X X X
>
> **306.** धारा 24 (2) के उपबंधों की कठोरता से बचाने के लिए, जब प्राधिकारी असंभव के कारण कर्तव्यों का पालन करने से विकलांग हो जाते हैं, तो यह उनके लिए एक अच्छा बहाना होगा।वादकारी सही या गलत हो सकता है।उसे उसके द्वारा अंतरिम आदेश से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। "" अपने अपकृत्य से कोई लाभ नहीं उठा सकता "" "का सिद्धांत है कि किसी भी पार्टी को अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती।" ""धारा 24 के उपबंधों में मुकदमेबाजों या गैर–मुकदमेबाजों के साथ भेदभाव नहीं किया गया है और एक ही अधिग्रहण के संबंध में उनके साथ अलग–अलग व्यवहार किया गया है, अन्यथा, असंगत परिणाम हो सकते हैं और प्रावधान अपने आप में भेदभावपूर्ण हो सकते हैं।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

X X X X

308. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नॉर्थ टेल्यूमर कोलियरी [(1989) 3 एससीसी 411] में, इस न्यायालय ने कहा कि देरी करने की रणनीति को फलने –फूलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देरी करने से, मालिक को भारी मात्रा में ब्याज मिलेगा, लेकिन उसे मूल राशि में से एक पैसा नहीं मिल सकता है। यह मालिकों को अन्यायपूर्ण लाभ प्रदान करने के बराबर होगा जो संसद का इरादा कभी नहीं हो सकता। इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया:(एससीसी पृष्ठ 416–17, पैरा 8)

> **8.** उच्च न्यायालय के निष्कर्ष मुख्य रूप से कोयला अधिनियम की धारा 18(5) की व्याख्या पर आधारित हैं। उच्च न्यायालय ने विभिन्न शब्दकोशों से "लाभ प्रदान करना" और "लाभ" शब्दों के अर्थ उद्धृत किए हैं।कोयला अधिनियम के संदर्भ और योजना में इन सरल शब्दों के अर्थ को समझने के लिए किसी शब्दकोश या किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोयला अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष मालिकों के लेनदारों के दावे हैं और जिन देनदारियों का भुगतान किया जाना है, वे भी कोयला खदानों के मालिकों के हैं।जब कर्ज का भुगतान किया जाता है और देनदारियों का भुगतान किया जाता है, तो केवल कोयला खदानों के मालिक ही लाभान्वित होते हैं।अपने ऋणों और देनदारियों का निर्वहन किए बिना मालिकों द्वारा ब्याज की राशि को वापस लेना अनुचित होगा।उन्हें केवल दावों के संवितरण को स्थगित करने के लिए देरी करने की रणनीति अपनानी पड़ती है और परिणामस्वरूप उन्हें अधिक ब्याज मिलता है।इस तरह की देरी के कारण मालिक को भारी मात्रा में ब्याज मिलेगा, हालांकि अंततः उसे दावों के अंतिम निस्तारण पर मूलधन में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा।यह मालिकों को अन्यायपूर्ण लाभ प्रदान करने के समान होगा जो कभी भी संसद का इरादा नहीं हो सकता।हम उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं और यह मानते हैं कि कोयला अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कोयला खदान के संबंध में आयुक्त को भुगतान किया गया धन है और इसका उपयोग आयुक्त द्वारा लेनदारों के दावों को पूरा करने और कोयला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य देनदारियों का निर्वहन करने के लिए किया जाना है।

309. तुच्छ मुकदमेबाजी फाइल करना और रोक प्राप्त करना संदिग्ध आचरण नहीं हो सकता है लेकिन धारा 24 (2) का लाभ उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जिन्होंने रोक के दौरान कब्जा लेने या क्षतिपूर्ति के भुगतान को रोका।

X X X X

314. "विधि असंभव करने के लिए विवश नहीं करती है" "" "उक्ति का अर्थ है कि विधि असंभव के निष्पादन की अपेक्षा नहीं करती है।" हालांकि भुगतान संभव है, लेकिन भुगतान का तर्क प्रासंगिक है।ऐसे मामले हैं जिनमें मुआवजा दिया गया था , लेकिन इनकार कर दिया गया था और फिर राजकोष में जमा कर दिया गया था।न्यायालय में मुकदमेबाजी चल रही थी, जो लंबित थी (या कुछ मामलों में निर्णय लिया गया था) मुआवजा बढ़ाने के लिए पहले के संदर्भों की मांग की गई थी और मुआवजा बढ़ाया गया था।इस न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रतिकर से संबंधित कार्यवाही के लंबित मामलों में भी धारा 24 (2) का यह उल्लेख करने के लिए अवलंब लिया गया था कि न्यायालय में प्रतिकर जमा न किए जाने या न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण राजकोष में या अन्यथा प्रतिकर जमा न किए जाने के कारण कार्यवाहियां व्यपगत हो गई हैं, क्योंकि ऐसी कार्यवाहियां व्यपगत हो जाएंगी।

315. चन्द्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद [(1999) 8 एस. सी. सी. 266] वाले मामले में, एक निर्वाचन याचिका पटना उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय XXE के नियम 6 में विहित रीति से प्रस्तुत की जानी थी। नियमों में कहा गया है कि चुनाव

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

याचिका, किसी भी परिस्थिति में, सीमा की अवधि को बचाने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।चुनाव याचिका को खुली न्यायालय में शाम 4.15 बजे तक अर्थात न्यायालय के कार्य समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश ने आदेश पारित किया था कि न्यायालय अपराह्न 3.15 बजे के बाद बाकी के लिए नहीं बैठेगी।"" "मोहम्मद गाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2000) 4 एस. सी. सी. 342] में," न्यायालय के कार्य से किसी को हानि होती है" "उक्ति के साथ विचार के लिए उक्ति "विधि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए विवश नहीं करती" जो संभव नहीं है।" निम्नलिखित टिप्पणियां की गईः(एससीसी पृष्ठ 347, पैरा 7)

> **"7.** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इक्विटी का सिद्धांत, अर्थात्," न्यायालय के कार्य किसी का अहित नहीं करेंगें" "–न्यायालय का कोई कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, लागू नहीं होगा।" ""यह सिद्धांत न्याय और सद्भावना पर आधारित है, जो कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शक है।एक अन्य कहावत यह है कि कानून किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करता जो वह संभवतः नहीं कर सकता है।यह समझा जाता है कि स्वयं कानून और उसके प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया है, जैसा कि यह अपनी सामान्य सूक्तियों में करता है, असंभवताओं को मजबूर करने के सभी इरादे, और कानून के प्रशासन को विशेष मामलों पर विचार करते हुए उस सामान्य अपवाद को अपनाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकतम की प्रयोज्यता को इस न्यायालय ने राज कुमार डे बनाम तारापद डे [(1987) 4 एससीसी 398] और गुरशरण सिंह बनाम एनडीएमसी [(1996) 2 एससीसी 459] में अनुमोदित किया है।

"316. एक अन्य रोमन विधि कहावत"निमो टेनेटर एड इंपोसिबिलिया" "का अर्थ है कि कोई भी असंभव कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।" ""हालांकि इस तरह के अधिकार लेने और मुआवजे का वितरण असंभव नहीं है, फिर भी वे कानून के प्रदर्शन में सक्षम नहीं हैं, अदालत के आदेश के अस्तित्व के दौरान आदेश का पालन करना पड़ता है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, न्यायसंगत सिद्धांतों पर भी, ऐसी अवधि को अपवर्जित किया जाना चाहिए। औद्योगिक वित्त निगम में ऑफ इंडिया लिमिटेड v. कैनानोर एसपीजी. और डब्ल्यूवीजी मिल्स लिमिटेड [(2002) 5 एससीसी 54], इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जहां विधि एक कर्तव्य या प्रभार का सृजन करती है और पक्षकार बिना किसी व्यतिक्रम के उसका पालन करने में असमर्थ है और उसका कोई उपचार नहीं है, वहां विधि सामान्य रूप से उसे क्षमा कर देगी। उपर्युक्त उक्ति पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः(एससीसी पृ. 71, पैरा 30)

"30 इंग्लिश जजमेंट से सन्दर्भित लैटिन उक्ति नान कोगिट एड इम्पासबिलिया को एस इमपोटेंनिसिया इक्सयूटस लेगम के रूप में व्याख्या किया गया है जिसका तात्पर्य है कि विधि किसी व्यक्ति को वह करने के लिए विवश नहीं करती जो कार्य असंभव हो या वह नहीं कर सकता है। इस प्रकार दायित्व को निभाने के लिए हमेशा एक अजेय अक्षमता होनी चाहिए, और यह रोमन उक्ति निमो टेनेटुर इंम्पासिबिलिया के समान असंभव है। ब्रूम के विधिक उक्ति में स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

> अतः, यह एक सामान्य नियम है जो पर्याप्त व्यावहारिक दृष्टांत को स्वीकार करता है, वह नपुंसकता बहाना है; जहां कानून एक कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पार्टी इसे करने के लिए अक्षम है, बिना किसी चूक के, और कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे क्षमा करेगा (टी): और हालांकि प्रदर्शन की असंभवता है, सामान्य तौर पर, किसी पार्टी द्वारा अनुबंध द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए दायित्व को पूरा नहीं करने का कोई बहाना नहीं है, फिर भी जब दायित्व कानून द्वारा निहित है, तो प्रदर्शन की असंभवता एक अच्छा बहाना है। इस प्रकार इस मामालें कार्गों को प्राप्त करने वालें व्यक्ति को जहाज से माल उतारने से डाक स्ट्राइक की वजह से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तत्काल रूप से रोक दिया गया था, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि उनके द्वारा किसी विर्निष्ट समय में माल उतारने में जो स्पष्ट समझौता हुआ था के अभाव में उचित समय के भितर माल उतारने की विवक्षित बाध्यता थी के तहत यह पाया कि विधि असंभव कार्य को करने के लिए विवश नहीं करती एवं लिंडले एल.जे के द्वारा कहा गया किः– हमें निहित दायित्वों के साथ कार्य करना है, और मुझे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें नुकसान का भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति पर कभी भी ऐसा नहीं करने के लिए विवश किया जाता है जो उसके नियंत्रण से परे कारणों से असंभव हो जाता है। (प्रभाव वर्धित)

317. हुडा बनाम बाबेश्वर कन्हर [(2005) 1 एससीसी 191] में, इस न्यायालय ने इस सामान्य सिद्धांत पर विचार किया कि एक पक्षकार को उसके नियंत्रण से परे कुछ परिस्थितियों द्वारा कोई कार्य करने से रोका गया है, जो सम्बाशिव चारी बनाम रामासामी रेड्डी [आईएलआर (1899) 22 मद्रास 179] में आयोजित प्रथम पश्चात्वर्ती अवसर पर ऐसा कर सकता है।बाबेश्वर कन्हर [हुडा बनाम बाबेश्वर कन्हर, (2005) 1 एससीसी 191] में यह कहा गया थाः(एससीसी पृष्ठ 192–93, पैरा 5)

5. दिनांक 30–10–2001 के पत्र के खंड 4 में क्या निर्धारित किया गया है, आवंटन को स्वीकार करने से इनकार करने के संबंध में एक संचार है। यह 28–11–2001 को किया गया था।प्रतिवादी 1 को 1–12–2001 और 2–12–2001 को हूडा के कार्यालय के बंद होने और 30–11–2001 को डाक अवकाश के कारण नुकसान नहीं हो सकता है।वास्तव में, इन मामलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।यहां तक कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10 के तर्क को भी लागू किया जा सकता है। उक्त धारा और विभिन्न अन्य अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अलावा, यह सामान्य सिद्धांत है कि कोई पक्षकार अपने नियंत्रण से परे कुछ परिस्थितियों द्वारा कोई कार्य करने से निवारित है, बाद के प्रथम अवसर

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर ऐसा कर सकता है (सम्बाशिव चारी बनाम रामासामी रेड्डी [आईएलआर (1899) 22 मद्रास 179]। इस सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य किसी व्यक्ति को वह कार्य करने में सक्षम बनाना है जो वह अवकाश के दिन, अगले कार्य दिवस पर कर सकता था।अतः, जहां किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी कार्य के निष्पादन के लिए कोई अवधि विहित की जाती है और वह अवधि अवकाश के दिन समाप्त हो जाती है, वहां यदि कार्य उस अवधि के भीतर किया गया माना जाना चाहिए यदि ऐसा अगले दिन किया जाता है जिस दिन न्यायालय या कार्यालय खुला है। इसका कारण यह है कि कानून किसी असंभव कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं करता है।(हुसैन अली बनाम डोंजेल [आईएलआर (1880) 5 कैल 906]।न्याय और समीचीनता के हर विचार के लिए आवश्यक होगा कि स्वीकृत सिद्धांत, जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10 के तहत है, उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां यह अन्यथा शर्तों में लागू नहीं होता है।अंतर्निहित सिद्धांत लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पोसिबिलिया (कानून किसी व्यक्ति को असंभव को करने के लिए मजबूर नहीं करता) और एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवाबिट (न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा) हैं। स्थिति से ऊपर, नीचे दिए गए मंचों द्वारा पारित आदेशों में कुछ भी अस्थिर नहीं है।हालांकि, निर्धारित ब्याज की दर थोड़ी अधिक प्रतीत होती है और 3-12-2001 से अर्थात जिस तारीख को हुडा को पत्र प्राप्त हुआ था, उसे घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

318. राष्ट्रपति के चुनाव में, इस न्यायालय ने [1974] 2 एस. सी. सी. 33 के संबंध में इसी प्रकार की अवधारणा व्यक्त की थी।जबि विधि के किसी भाग को निष्पादित करने में कोई अवरोध होता है तो इस प्रकार के आराप को माफ कर दिया जाता है।जब किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन उन परिस्थितियों के कारण असंभव हो जाता है जिन पर संबंधित व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तो इसे एक वैध बहाने के रूप में लिया जाना चाहिए।न्यायालय ने अवधारित किया – (एससीसी पृ. 49–50, पैरा 15)

> "15 एक उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में पद की अवधि समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के पूरा होने की असंभवता, जैसा कि 1952 अधिनियम की धारा 7 से प्रकट हो सकता है, अनुच्छेद 62(1) इसके अनिवार्य चरित्र के को नहीं प्रभावित करता है । उक्ति इंपोटेशिया इक्यूसट लेगम का सिद्धान्त विधि के दूसरे सिद्धान्त लेक्स नान काग्जिट एड इम्पांसिबिलिया से गहरा सम्बन्ध है। इंम्पोटेंसिया इक्यूसट लेगम का तात्पर्य यह है कि जब कोई आवश्यक कार्य हो या कानून के अनिवार्य भाग को पूरा करने के लिए स्थाई असंभवता होती है तो इम्पोटेंशिया एक बहाना बन सकता है। कानून किसी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता।;जहां कानून एक कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पार्टी बिना किसी चूक के इसे करने के लिए अक्षम है, और इस पर कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा। इसलिए, जब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी क़ानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का प्रदर्शन उन परिस्थितियों से असंभव बना दिया गया है जिन पर रुचि रखने वाले व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं था, जैसे कि भगवान का कार्य, परिस्थितियों को एक वैध बहाने के रूप में लिया जाएगा।जहां ईश्वर का कार्य किसी अधिनियम के शब्दों के अनुपालन को रोकता है, वहां अधिनियमी प्रावधान को उसके अनिवार्य स्वरूप से वंचित नहीं किया जाता है क्योंकि ईश्वर के कार्य के कारण असंभव है (देखें ब्रूम्स लीगल मैक्सिम्स, 10 वां संस्करण, पृष्ठ 162–63 पर और क्रेज ऑन स्टैच्यूट लॉ, छठा संस्करण, पृष्ठ 268 पर)।

319. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय [(2005) 4 एस. सी. सी. 530] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि विधि किसी व्यक्ति को वह करने के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिए विवश नहीं करती जो संभवतः नहीं किया जा सकता है के लिए यह वैधानिक उक्ति "इंपोटेंशियां इक्यूसट लेगम" को लागू की गई है। यद्यपि असंभव कार्य को करने के सम्बन्ध में उक्ति को लागू नहीं किया जा सकता हालांकि उस समय के लिए न्यायालय का आदेश के तहत प्राधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वाहन के रकने से अक्षम बना दिया है।इस प्रकार, जब वे प्रदर्शन करने में असमर्थ थे, तो उन्हें पहले उपलब्ध अवसर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो उनके लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित समय है, अर्थात् अंतरिम आदेश की अवधि को छोड़कर 5 वर्ष की कुल अवधि को दिया जाना चाहिए।

320. उक्ति एक्टस क्यूरि नेमिनेम ग्रेवाबिट को न्यायलय की कार्यवाही या न्यायालय के कार्य के तहत उस सिद्धान्त के उपर प्रतिस्थापित किया गया जिससे कोई पक्षकार परेसान न हो।

यदि विचाराधीनता के लम्बित रहने के दौरान कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है तो वे मामले में अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

यदि मामले को बिना किसी मेरिट के खारिज कर दिया जाता है तो अंतरिम आदेश स्वतः ही भंग हो जाता है।यदि मामलें को बिना किसी मेरिट के दायर किया जाता है तो उक्ति कम्मोडम एक्स इन्जूरिया सू नेमों हैबरी डीबेट लागू होगी अर्थात किसी भी पक्षकारा को अपनी गलती के लिए सुविधा नही मिल सकती हैकिसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का लाभ नहीं उठाना चाहिए।यदि मुकदमेबाजी निरर्थक रूप से या बिना किसी आधार के, विलंब आदेश के लिए की गई है और उसके द्वारा विलंब होता है, तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई प्राकृतिक न्याय नहीं मिल सकता है।ऐसे मामलों का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

मृत्युंजय पानी बनाम नर्मदा बाला ससमल [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1353] में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त कियाः

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. इसी प्रकार का सिद्धान्त लैटिक उक्ति कम्मोडम इक्स इन्जुरिया सु नेमो हैबिरी डिबेट के नाम से है जिसका अर्थ है किसी पक्षकार को सुविधा उसकी अपनी गलती से नहीं मिल सकती।.....

दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को भी अपने गलत कार्य से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

321 – यह कानून की नीति नहीं है कि देरी के कारण अमान्य दावों को पूरा किया जाए। इसी प्रकार, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति की पीड़ा अनुज्ञेय नहीं है। 2013 अधिनियम बेईमान मुकदमेबाजों को लाभ प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसका उद्देश्य अधिकारियों की सुस्ती को पांच वर्षों के भीतर पूरा करना है।

X X X X

323 – जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1998) 3 एससीसी 376] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि स्थगन को समाप्त करते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विलंब की अवधि का हिसाब रखे और साम्या का निस्तारण करे। यह लाभ नहीं है जो प्रदान किया जा सकता है।जयपुर नगर निगम बनाम सी. एल. मिश्रा [(2005) 8 एस. सी. सी. 423] वाले मामले में यह पाया गया है कि अंतरिम आदेश अंतिम आदेश में विलीन हो जाता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता है, अंतिम निर्णय से परे नहीं रह सकता है। एन राम कृष्ण वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. [(1992) 2 एससीसी 620], ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम वी. सीआईटी [(1980) 2 एससीसी 191] पर निर्भरता रखी गई थी। यह माना गया था कि किसी को भी अदालत के कार्य से पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है और अंततः याचिका को बिना योग्यता के पाया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, तो न्याय के हित में किसी भी अवांछित या अनुचित लाभ की आवश्यकता होती है। अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने वाली पार्टी द्वारा प्राप्त की गई राशि को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

324. महादेव सावलाराम शेलके बनाम पुणे म्युनिसिपल कॉर्प [(1995) 3 एससीसी 33] में, यह देखा गया है कि न्यायालय अपनी निहित अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायालय के अधिनियम द्वारा प्रतिवादियों द्वारा झेली गई क्षति को शमन करने के लिए कर्तव्य है। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।अमरजीत सिंह बनाम देवी रतन [(2010) 1 एससीसी 417] और राम कृष्ण वर्मा [राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1992) 2 एससीसी 620] में यह पाया गया कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के कार्य से पीड़ित नहीं हो सकता और अंतरिम आदेश के अनुचित लाभ को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए। अमरजीत सिंह [अमरजीत सिंह बनाम देवी रतन, (2010) 1 एससीसी 417] में, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> 17..... कोई भी वादकारी किसी न्यायालय में मामले विचाराधीनता होने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतरिम आदेश हमेशा मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में विलीन हो जाता है, और यदि रिट याचिका अंततः खारिज कर दी जाती है, तो अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से निरस्त हो जाता है।किसी भी पक्ष को अंतरिम आदेश प्राप्त करके अपनी गलतियों का कोई लाभ उठाने और उसके बाद न्यायालय को दोष देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह तथ्य कि रिट अंततः बिना किसी योग्यता के पाई जाती है, दर्शाता है कि एक तुच्छ रिट याचिका दायर की गई थी। उक्ति एक्टस क्यूरि नेमिनेम ग्रेवाबिट का अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी पर प्रतिकूल पर प्रभाव नहीं डालेगा, जो इस मामलें में लागू होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का दायित्व है कि वह न्यायालय के कार्य द्वारा किसी पक्षकार के साथ किए गए अन्याय को दूर करे। इस प्रकार, न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी अपात्र या अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी की संस्था को न्यायालय के कार्य द्वारा विलंबित कार्रवाई से किसी वादी को कोई लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(शिवशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [1995 सप्लीमेंट (2) एससीसी 726], जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1998) 3 एससीसी 376] और जयपुर नगर निगम बनाम सीएल मिश्रा [(2005) 8 एससीसी 423] को देखने पर।

18. राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1992) 2 एस. सी. सी. 620] में, इस न्यायालय ने ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम सीआईटी [(1980) 2 एस. सी. सी. 191] में अपने पहले के निर्णय अवलंब करते हुए इसी तरह के मुद्दे की जांच की और यह अभिनिर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के कार्य से पीड़ित नहीं हो सकता है और यदि एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, और याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाता है, और अंततः याचिका को किसी भी मेरिट के बिना पाया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, न्याय के हित में यह अपेक्षित है कि न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी अपात्र या अनुचित लाभ को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए।

325. कर्नाटक रेअर अर्थ बनाम खान और भूविज्ञान विभाग [(2004) 2 एस. सी. सी. 783] में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अधिकतम एकक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवाबिट की आवश्यकता है कि पक्षकार को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए लेकिन न्यायालय के आदेश के लिए जो अंततः पोषणीय नहीं पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को लाभ प्राप्त हुआ है जो अन्यथा अर्जित नहीं होता और दूसरे पक्ष को न्यायालय के आदेशों के बिना नुकसान उठाना पड़ा है। सफल पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा अर्जित लाभ की मांग कर सकता है, या जो उसने खो दिया है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है।इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त कियाः (एससीसी पृष्ठ 790–91, पैरा 10–11)

10. "एक्ट्स क्यूरी नेमिनेम ग्रेविटी 'के सिद्धांत में और यह अभिनिर्धारित किया कि सिद्धांत केवल न्यायालय के ऐसे कार्यों तक ही सीमित नहीं था जो गलत थे, सिद्धांत ऐसे सभी कार्यों के लिए लागू होता है जिसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि यदि न्यायालय को तथ्यों और विधि से सही रूप से अवगत कराया गया होता तो वह इस प्रकार का कार्य नहीं करता।" ""यह पुनर्स्थापना का सिद्धांत है जो आकर्षित होता है। जब पक्षकार के किसी कार्य के कारण, न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने के लिए समझाया जाता है, जो अंत में टिकाऊ नहीं माना जाता है , जिसके परिणामस्वरूप एक पक्षकार को लाभ प्राप्त हुआ है, जो उसने अन्यथा अर्जित नहीं किया होता, या दूसरे पक्षकार को एक ऐसी दरिद्रता का सामना करना पड़ा है, जो उसे नहीं उठानी पड़ती, लेकिन न्यायालय के आदेश और ऐसे पक्षकार के कार्य के कारण, तब सफल पक्षकार अंततः मुकदमेबाजी के अंत में धन के संदर्भ में निर्धारणीय राहत का हकदार होता है, तो वह उसी तरह से मुआवजा पाने का हकदार होता है जिस तरह से पक्षकारों को न्यायालय का अंतरिम आदेश पारित न किया गया होता।सफल पक्ष निम्नलिखित मांगें कर सकता हैः(क) न्यायालय के अंतरिम आदेश के अधीन विरोधी पक्षकार द्वारा अर्जित लाभ का परिदान, या (ख) या उसको जो क्षति हुइ है उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

11. इस मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय के निर्णय [कर्नाटक रेयर अर्थ बनाम खान और भूविज्ञान विभाग, डब्ल्यूपी नंबर 4030–4031 ऑफ 1997, आदेश दिनांक 1–12–1998 (केएआर)] के बावजूद, यदि

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ता इस न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित आदेश के लिए राजी नहीं करते, तो वे खनन पट्टों को संचालित आदेश और निकाले गए खनिजों को उठाने, हटाने और निस्तारण के हकदार नहीं होते। लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के लिए, अपीलकर्ताओं और धारा 21 की उप–धारा (5) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाले किसी भी भूमि से किसी भी खनिज को उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी न्यायालय से हार गए हैं, उन्हें न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत उनके द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अपीलार्थियों को उसी स्थिति में रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जिसमें वे होते यदि यह न्यायालय अंतरिम आदेश जारी करके उन्हें संरक्षित नहीं करता। राज्य सरकार अपीलकर्ताओं से गौण खनिजों की कीमत की ही मांग कर रही है।राज्य सरकार द्वारा किराया, रॉयल्टी या कर की वसूली पहले ही की जा चुकी है और इसलिए उस मद के तहत कोई मांग नहीं है।अपीलार्थियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अपीलकर्ताओं को किसी भी जुर्माने का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है या किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के अधीन है.यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि उन्हें निर्यात से प्राप्त मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है या यह कि प्रत्यर्थी राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है। (प्रभाव वर्धित)

326. ए. आर. अंतुले [ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602] में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यह एक पूर्वस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय का कोई कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह उक्ति एक्टस क्यूरि उेमिउेम ग्रवाबिट का सिद्धान्त न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है और विधि के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शक प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सकता।भारत में प्रक्रियात्मक विवादों के कारण देरी होती है।ए. आर. अंतुले [ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1988) 2 एस. सी. सी. 602] में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त कियाः(एससीसी पृष्ठ 687, पैरा 102)

> 102. यह सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण किसी भी वादकारी को अपने निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए किसी उच्च न्यायालय में जाने का कोई अवसर नहीं है। मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मडिन [1917 एसी 170 (पीसी)] (कागज फटा) में लार्ड बकमास्टर ने कहाः
>
> > न्यायालय के सभी नियम और कुछ नहीं बल्कि न्याय के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रावधान हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन्हें इस उद्देश्य की सेवा करने और उसके अधीन रहने के लिए बनाया जाए।

इस न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम रामप्रकाश पी. पुरी [(1969) 3 एस. सी. सी. 156] वाले मामले में यह कहते हुए अपनी स्थिति दोहराईः (एससीसी पृ. 159, पैरा 5)

> प्रक्रिया को कानून की रखैल नहीं बल्कि दासी के रूप में वर्णित किया गया है जिसका उद्देश्य न्याय की सेवा करना और उसे सुगम बनाना है न कि शासन करना या उसमें बाधा डालना।.....प्रक्रिया के सभी नियमों की तरह, यह नियम एक निर्माण की मांग करता है जो इस उद्देश्य को बढ़ावा देगा।

एक बार जब न्यायिक संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो यह निर्देश देने लिए उपलब्ध नहीं होता है एवं यह न्यायालय की त्रुटि के रूप में स्वीकार के रूप में ले लिया जाता है तो यह न केवल उचित है बल्कि यह न्यायालय का कर्तब्य है वह अपनी अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करके उस त्रुटि का सुधार करें।न्यायिक राय इस दृष्टिकोण के साथ काफी हद तक झुकी हुयी है कि न्यायालय के द्वारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की गयी त्रुटि को न्यायालय के द्वारा बिना किसी बाधा के सुधारा जाता है।यह सिद्धांत पर है, जैसा कि अलेक्जेंडर रोजर मामले में इंगित किया गया है [अलेक्जेंडर रोजर बनाम कम्प्टॉयर डी 'एसकम्प्टे डी पेरिस, (1969–71) एलआर 3 पीसी 465:17 ईआर 120]। मेरा विचार है कि वर्तमान स्थिति में न्यायालय को अपनी त्रुटि को सुधारने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।न्यायमूर्ति महाजन ने केशरदेव चमरिया बनाम राधा किशन चमरिया [1953 एस. सी. आर. 136:ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 23], एस. सी. आर. पी. 153 में चार न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए कहाः (ए. आई. आर. पृष्ठ 28, पैरा 21)

21. न्यायाधीश को डिक्री धारक द्वारा उठाए गये आधार या निर्णीत ऋणी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा किए बिना अपनी त्रुटि को सुधारने का अधिकार क्षेत्र था।X X X X

329. इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि जब पक्षकार न्यायालय के समक्ष होते है तो अंतिम विनिश्चय अभिभावी होता है और वे अपने सापेक्ष मामलों के मेरिट के आधार पर जीतते या हार जाते है।न ही दूसरे पक्षकार को प्रतिकूल स्थिति में डालने के लिए न्यायालय के आदेश के आवरण के अधीन आश्रय लेने की अनुमति दी जा सकती है।यदि किसी ने न्यायालय के आवरण के अधीन सुख प्राप्त किया है तो उस अवधि को धारा 24 के अधीन अपेक्षित कदम उठाने के लिए प्राधिकारियों की निष्क्रियता की दिशा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।राज्य के अधिकारियों ने अदालत के आदेश के बिना कार्रवाई की होती।वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के लिए उन मामलों में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अवसर यह था कि राज्य या अधिग्रहित निकाय उनकी संपत्तियों को ले रहे थे। अंततः मामले को अधिग्रहण या मुआवजे को चुनौती देने में अपनी योग्यता के आधार पर खड़ा होना था और

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसलिए ऐसी स्थितियों में धारा 24 (2) के तहत कोई अधिकार या लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था।

X X X X

334. इन सभी कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा उपबंध अभिव्यक्त रूप से अधिनियमित करने का लोप, जो उस अवधि को अपवर्जित करता है जिसके दौरान कोई अंतरिम आदेश प्रवर्तन में था,जो राज्य को अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने से रोकता है, या किसी विशेष मामले या मामले में पंचाट को प्रभावी करने से रोकता है, जो 5 वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी अवधि या अवधियों को शामिल नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, केवल इसलिए कि 2013 के अधिनियम की धारा 19 और 69 के तहत व्यपगत होने के परिणाम के साथ समय–सीमा इंगित की गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के समय (अंतरिम आदेशों के अस्तित्व) को कारक बनाने में चूक का कोई विशेष विधायी इरादा है।इस संदर्भ में इस न्यायालय ने नोटिस दिया है कि नए अधिनियम (न तो 1894 के अधिनियम के तहत) के तहत भी पूरे अधिग्रहण की अवधि बीत जाने के लिए, एक निर्दिष्ट समय के भीतर मुआवजे का भुगतान न करने के लिए कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है और न ही कब्जे के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भुगतान और जमा प्रावधानों (धारा 77 के तहत) का अनुपालन न करने पर केवल धारा 80 के तहत अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।समय के अपवर्जन के लिए उपबंध करने का लोप, जिसके दौरान अंतरिम आदेश अस्तित्व में रहे, यह अवधारित करते हुए कि वर्तमान मामले में अधिग्रहणों का व्यपगत हो गया है या नहीं, विषय–वस्तु को ध्यान में रखते हुए, असावधानी या दुर्घटना का स्पष्ट परिणाम है और इस सिद्धांत को लागू करने से इनकार करने से गंभीर अन्याय होगा।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

11. 2 प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को लागू करते समय, पैराग्राफ 335 से 339 में निम्नलिखित रूप में यह देखा गया हैः

इस विधि के मामलें में पुनर्स्थापना का सिद्धांत

355. प्रत्यास्थापन का सिद्धांत मुकदमेबाजी के अंत में पूर्ण न्याय करने के आदर्श पर आधारित है और पक्षकारों को उसी स्थिति में रखा जाना है किंतु मुकदमेबाजी और मामले में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2003) 8 एससीसी 648], यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी पक्षकार मुकदमेबाजी का लाभ नहीं उठा सकता।यदि मुकदमा हार जाता है तो विलम्ब के कारण प्राप्त लाभ को उसे समाप्त करना होगा।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अंतिम निर्णय में विलय हो जाता है।किसी पार्टी के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की वैधता, अंतरिम चरण में सफल पार्टी के खिलाफ अंतिम आदेश के जाने की स्थिति में उलट जाती है।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्षतिपूर्ति का स्रोत नहीं है।यह न्याय, निष्पक्षता और निष्पक्षता के नियम की वैधानिक मान्यता है।न्यायालय को पूर्ण न्याय आदेश के लिए प्रत्यास्थापन का आदेश देने निहित अधिकार क्षेत्र है।यह इस सिद्धांत पर भी है कि एक गलत आदेश को जीवित रखकर और उसका सम्मान करके कायम नहीं रखा जाना चाहिए।इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालतों ने धारा 144 सीपीसी की शर्तों के अंतर्गत नहीं आने वाली असंख्य स्थितियों में बहाली के सिद्धांत को लागू किया है। जो चीज पुनर्स्थापन की प्रयोज्यता को आकर्षित करती है, वह यह नहीं है कि न्यायालय का कार्य गलत है या गलती या अदालत द्वारा की गई कोई त्रुटि नहीं है; परीक्षण यह है कि क्या पार्टी के एक अधिनियम के कारण अदालत को अंत में आयोजित एक आदेश को पारित करने के लिए राजी करना जो टिकाऊ नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्ष को एक लाभ प्राप्त होता है जो अन्यथा अर्जित नहीं होता, या दूसरे

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पक्ष को नुकसान उठाना पड़ता है दरिद्रता, क्षतिपूर्ति करनी होगी मुकदमेबाजी को उत्पादक उद्योग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जहां प्रत्येक मामले में संयोग का तत्व है, वहां मुकदमेबाजी को खेल तक कम नहीं किया जा सकता।यदि प्रत्यास्थापन की अवधारणा को अंतरिम आदेशों के लिए आवेदन से बाहर रखा जाता है, तो वादकारी को अंतरिम आदेश से प्राप्त होने वाले लाभों को निगलने से लाभ होगा। इस न्यायालय ने दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 8 एस. सी. सी. 648] में इस प्रकार मत व्यक्त कियाः

> 26. हमारी राय में बहाली का सिद्धान्त इस विषय का घ्यान रखते है।प्रत्यर्पण शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में किसी डिक्री या आदेश के संशोधन, परिवर्तन या प्रतिस्थापन पर किसी पक्षकार को, जो उसे न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में या किसी डिक्री या आदेश के प्रत्यक्ष परिणाम में विलुप्त हो गया है, उसे प्रत्यावर्तित करना है (देखें जफर खान बनाम राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश [1984 सप्लीमेंट एससीसी 505])।(जफर खान बनाम राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश [1984 सप्लीमेंट एससीसी 505]" कानून में, 'क्षतिपूर्ति' शब्द का उपयोग तीन अर्थों में किया जाता हैः(i) किसी विशिष्ट वस्तु को उसके वास्तविक स्वामी या हैसियत को लौटाना या बहाल करना; (ii) दूसरे को किए गए गलत से प्राप्त लाभों के लिए मुआवजा देना; और (iii) दूसरे को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करना। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 7 वां संस्करण, पृष्ठ 1315 देखें)।जॉन डी. कालामारी और जोसेफ एम. पेरिलो द्वारा संविदाओं के कानून को ब्लैक द्वारा यह कहने के लिए उद्धृत किया गया है कि "क्षतिपूर्ति" एक अस्पष्ट शब्द है, जो कभी–कभी चीजों

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को निकालने का उल्लेख करता है जिसे लिया गया है और कभी–कभी किए गए नुकसान के लिए मुआवजे का उल्लेख करता हैः

> प्रायः शब्द के किसी भी अर्थ के अंतर्गत परिणाम एक ही होता है।... अन्यायपूर्ण निर्धनता, साथ ही अन्यायपूर्ण समृद्धि, क्षतिपूर्ति का एक आधार है।यदि प्रतिवादी गैर –अपकृत्यकारी गलत व्यपदेशन का दोषी है, तो वसूली का उपाय कठोर नहीं हानेा चाहिए, लेकिन प्रत्यास्थापन के अन्य मामलों की तरह, सापेक्ष गलती, सहमत जोखिम और वैकल्पिक जोखिम आवंटन की निष्पक्षता पर सहमति नहीं है और किसी भी पक्ष की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 में कानूनी रूप से मान्यता दी गई है।धारा 144 सीपीसी न केवल किसी डिक्री को परिवर्तित, उलट, अपास्त या संशोधित किए जाने के बारे में बात करती है, बल्कि इसमें एक डिक्री के बराबर का आदेश भी शामिल है।उपबंध का दायरा इतना व्यापक है कि उसमें किसी डिक्री या आदेश के लगभग सभी प्रकार के परिवर्तन, प्रतिवर्तन, अपास्त करना या उपांतरण को सम्मिलित किया जा सकता है।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अंतिम निर्णय में विलय हो जाता है।किसी पार्टी के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की वैधता, अंतरिम चरण में सफल पार्टी के खिलाफ अंतिम निर्णय होने की स्थिति में उलट जाती है।...

27 यह इस सिद्धांत पर भी है कि किसी गलत आदेश को जीवित रखकर और उसका सम्मान करके कायम नहीं रखा जाना चाहिए (ए. अरुनागिरी नादर बनाम एस. पी. रथिनासामी [1970 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड. 63]।.....ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों ने ऐसे

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनगिनत 53 स्थितियों में प्रतिस्थापन के सिद्धांतों को लागू किया है जो धारा 144 की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

28. कि न्यायालय के किसी कार्य से कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा, यह नियम न्यायालय के किसी त्रुटिपूर्ण कार्य तक सीमित नहीं है –न्यायालय के कार्य में ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जिनके बारे में न्यायालय किसी विधिक कार्यवाही में यह राय बना सकता है कि यदि उसे तथ्यों और विधि से सही रूप से अवगत कराया गया होता तो न्यायालय इस प्रकार कार्य नहीं करता।पुनर्स्थापन की अवधारणा को अंतरिम आदेशों के लिए आवेदन से बाहर रखा गया है, तब वादकारी अंतरिम आदेश से प्राप्त होने वाले लाभों को निगलकर लाभ उठाएगा, भले ही वाद अन्त में हार गये हो। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।अतः हमारी यह राय है कि सफल पक्षकार मुकदमे के अंत में धन के रूप में निर्धारणीय राहत का हकदार है और वह उस अवधि के लिए उपयुक्त उचित दर पर ब्याज देकर क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है जिसके लिए धन की रिहाई को रोकने वाला न्यायालय का अंतरिम आदेश प्रवर्तन में रहा था।

(प्रभाव वर्धित)

336. गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड [(2012) 3 एससीसी 522] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के विरुद्ध एक उपचार है। न्यायालय ने कहाः (एससीसी पृष्ठ 542, पैरा 61–62)

> 61. पुनर्स्थापन की अवधारणा वस्तुतः एक सामान्य विधि सिद्धांत है और यह अन्यायपूर्ण समृद्धि या अन्यायपूर्ण लाभ के विरुद्ध एक उपचार है।इस अवधारणा का मूल न्यायालय की अंतरात्मा में निहित है, जो एक पक्ष को दूसरे से प्राप्त धन या कुछ लाभ को रखने से रोकता है, जो उसे अदालत की गलत डिक्री के माध्यम से प्राप्त हुआ

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है।अंग्रेजी कानून में ऐसा उपचार आमतौर पर अनुबंध या अपकृत्य में एक उपचार से अलग होता है और सामान्य विधि उपचार की तीसरी श्रेणी के भीतर आता है, जिसे अर्ध–अनुबंध या पुनर्स्थापन कहा जाता है।

62.यदि हम प्रत्यास्थापन की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं, ते एक बात स्पष्ट रूप से उभरती है कि पुनर्स्थापन की बाध्यता उस व्यक्ति या प्राधिकरण पर है जिसे अन्यायपूर्ण समृद्धि या अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है।(हेल्सबरी लाज ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड 9 देखें)(पृष्ठ 434)।

337. ए. शनमुगम बनाम अरिया क्षत्रिय राजकुल वंशथु मदालय नंदवन परिपालनाई संगम [(2012) 6 एस. सी. सी. 430] वाले मामले में यह कहा गया था कि मुकदमेबाजी के लाभ को बेअसर करने के लिए प्रत्यर्पण संबंधी अधिकार क्षेत्र प्रत्येक न्यायालय में अंतर्निहित है। यदि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो मुकदमेबाजी के प्रभावों के कारण कानून के सही पक्ष के व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और तुच्छ मुकदमेबाजी के अनुचित लाभ को समाप्त करना होगा। न्यायालय ने कहाः(एससीसी पृष्ठ 451–55, पैरा 37)

37. इस न्यायालय ने भारतीय पर्यावरण–विधिक कार्यवाही परिषद बनाम भारतीय संघ (2011) 8 एस. सी. सी. 161] (जिनमें से एक, न्यायमूर्ति डॉ. भंडारी, निर्णय के लेखक थे) के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में प्रत्यास्थापन की अवधारणा पर विचार करने का अवसर मिला।प्रासंगिक निर्णयों से संबंधित उस

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः(एससीसी पृष्ठ 238–41 और 243, पैरा 171–76 और 183–84)

'170. * *

171. राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1992) 2 एस. सी. सी. 620] में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः(एससीसी पृष्ठ 630, पैरा 16)

16...अपीलकर्ताओं/निजी ऑपरेटरों सहित 50 ऑपरेटर निर्देश के अनुसार सुनवाई में देरी करके न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुर्प्रयोग करके अपनी गाड़िया चला रहे हैं[जीवन नाथ वहल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 12 एससीसी 769] और इससे पहले के उच्च न्यायालय या इसके अलावा। वास्तव में, 29–9–1959 के बाद अनुदान की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति पर, उन्होंने नवीकरण प्राप्त करने या अपने वाहनों को चलाने का अधिकार खो दिया, क्योंकि इस न्यायालय ने योजना को लागू घोषित कर दिया।हालांकि, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके, वे आपत्तियों की सुनवाई लंबित रहने तक अपने वाहनों को चलाना जारी रखे हुए हैं।इस न्यायालय ने ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम सीआईटी [(1980) 2 एससीसी 191] वाले मामलें में यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के हित में यह अपेक्षित किया कि न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेने वाले किसी पक्षकार द्वारा प्राप्त किए गए किसी अपात्र या अनुचित लाभ को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इसके द्वारा मुकदमे की संस्था को इसके लिए जिम्मेदार पक्षकार को अनुचित लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उस विधि के आलोक में इस न्यायालय के द्वारा संविधांन के अनुच्छेद 142(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये कहा कि यह न्यायालय पूर्ण न्याय करेगा और अनुमोदित मार्ग या क्षेत्र या उसके हिस्से पर स्टेज कैरिज चलाने के लिए मुकदमे को खींचने में

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ताओं सहित 50 ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को बेअसर करेगा और 26-2-1959 की प्रारूप योजना के लिए उनके द्वारा दायर आपत्तियों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र को खो देगा।"

172..... इस न्यायालय ने कविता त्रेहन बनाम बलसरा हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड [(1994) 5 एस. सी. सी. 380] में निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः (एससीसी पृष्ठ 391, पैरा 22)

> 22. क्षतिपूर्ति करने की अधिकार क्षेत्र प्रत्येक न्यायालय में अंतर्निहित है और जब भी मामले का न्याय मांगता है तब इसका प्रयोग किया जाएगा।इसका उपयोग अंतर्निहित शक्तियों के तहत किया जाएगा, जहां मामला सख्ती से धारा 144 के दायरे में नहीं आता है।धारा 144 के तहत –
>
> **'144. प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन–**(1) जहां और जहां तक कोई डिक्री या आदेश किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में परिवर्तित या उलट जाता है या इस प्रयोजन के लिए मुकदमा किए गए किसी वाद में अपास्त या उपांतरित किया जाता है,

तत्काल मामला धारा 144 की शर्तों के अंतर्गत नहीं आ सकता है, लेकिन इस तरह के मामले में पीड़ित धारा हर अदालत में निहित प्रत्यास्थापन की व्यापक और सामान्य शक्तियों के लिए अपील कर सकता है।

173. इस न्यायालय ने मार्शल सन्स एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम साही ओरेट्रान्स (प्राइवेट) लिमिटेड [(1999) 2 एस. सी. सी. 325] में निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः (एससीसी पृष्ठ 326-27, पैरा 4)

> **4.**तथ्यों के कथन से, हालांकि यह हमें प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के पक्ष में एक डिक्री किसी न किसी कारण से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निष्पादित नहीं की जा रही है, हम इस स्तर पर प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलकर्ता को कब्जा देने का निर्देश देना उचित नहीं समझते हैं, चूंकि प्रतिवादी द्वारा दायर वाद अभी भी लंबित है।यह सही है कि किसी न किसी कारण से कार्यवाही को लम्बे समय तक खींचा जाता है और कभी–कभी प्रत्येक चरण में निरंतर विस्तार के साथ उच्च तकनीकी बन जाता है, जिससे असावधान लोगों को कानूनी जाल में फंसाया जाता है।विलंब के कारण, कार्यवाही के अनैतिक पक्षकार अनुचित लाभ उठाते हैं और जिस व्यक्ति के पास अनुचित कब्जा है वह प्रक्रियात्मक जटिलताओं का अनुचित लाभ उठाकर मामलों के निस्तारण में विलंब करने में खुशी प्राप्त करता है।यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त करने के बाद, इसके निष्पादन में लंबा समय लगता है।ऐसी स्थिति में निर्णीत लेनदान के हितों की रक्षा करने के लिए, यह आवश्यक है कि उचित आदेश पारित किया जान चाहिए ताकि वह व्यक्ति जो सम्पत्ति पर अपना कब्जा बनाये हुए है के द्वारा बाजार के किराए के हिसाब से लाभ का उचित भुगतान किया जाना चाहिए।उपयुक्त मामलो में, न्यायायल एक रिसीवर की नियुक्ती कर सकता है एवं उस व्यक्ति को जिसके सम्पत्ति का कब्जा है वह रिसीवर के एजेंट के रूप में कार्य करेगा [रिसिवर इस निर्देश के साथ एक रॉयल्टी राशि जमा करेगा जो उसे न्यायालय जमा करने को कहेगा] या ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करेगा जो न्याय के हित में हो।यह उस वादी को और अधिक क्षति से बचा सकती है जिसके पक्ष डिक्री में पारित की जायेगी उस वादी और अधिक क्षति से बचा सकती है और सम्पत्ति को अन्य हस्तान्तरण से भी बचा सकती है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

174. पद्मावती बनाम हरिजन सेवक संघ [2008 एससीसी ऑनलाइन डेल 1202] में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 6-11-2008 लिया गया निर्णय निम्नानुसार है:(एससीसी ऑनलाइन डेल पैरा 6)

> **6.** मामले से पता चलता है कि तुच्छ प्रतिरक्षा और तुच्छ मुकदमेबाजी एक सुविचारित उद्यम है जिसमें कोई जोखिम की स्थिति नहीं है।आपको केवल मुकदमेबाजी को लंबा खींचने के लिए पेशेवरों अधिवक्ताओं को शामिल करना होगा ताकि किसी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित किया जा सके और अवैधता का लाभ उठाया जा सके।मै समझता हूं कि ऐसे मामलों में जहां न्यायालय यह पाता है कि आदालतों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए, किसी वादकारी ने अवैधता को कायम रखा है या अवैध कब्जे को बनाए रखा है, वहां न्यायालय को ऐसे वादियों पर लागत अधिरोपित करनी चाहिए जो वादकारी द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के बराबर होनी चाहिए और सही व्यक्ति को नुकसान और वंचन का सामना करना पड़ता है ताकि तुच्छ मुकदमेंबाजी को रोका जा सके और लागों को अदालतों के माध्यम से अवैध कार्यों की भरपूर फसल काटने से रोका जा सके।प्रत्येक न्यायिक प्रणाली का एक उद्देश्य अदालतों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए अन्यायपूर्ण समृद्धि को हतोत्साहित करना है।न्यायालयों द्वारा अधिरोपित खर्चा सभी मामलों में सही व्यक्ति द्वारा वहन किए जाने वाले वंचन के बराबर वास्तविक खर्चा होना चाहिए।

हम उपरोक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को मंजूरी देते हैं।

175. उच्च न्यायालय ने यह भी कहाः (पदमावती बनाम हरिजन सेवक संघ, 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1202)एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9)

> **9.** इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह देखना आवश्यक समझते हैं कि अदालत में अतिप्रवाह मामलों के [मुख्य] कारणों में से एक तुच्छ

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मुकदमेबाजी है जिसमें अदालतों को वादियों द्वारा लगाया जाता है और जिसे यथासंभव लंबे समय तक खींचा जाता है।यहां तक कि अगर ये वादी अतंतः मुकदमा हार जाते हैं, तो वे वास्तविक विजेता बज जाते है और वह आखिरी प्रसन्नता है।न्यायालयों से रोक और व्यादेश प्राप्त करके अवैध कार्यों को कायम रखने वाले लोगों के इस वर्ग को न केवल पीड़ित व्यक्ति को उनके द्वारा किए गए पूरे अवैध लाभ का भुगतान उसके अधिकार से वंचित व्यक्ति को लागत के रूप में किया जाना चाहिए, बल्कि उन पर अनुकरणीय खर्चों का भी बोझ डाला जाना चाहिए। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास तभी कायम रह सकता है जब कानून के दाहिने पक्ष के लोग यह महसूस न करें कि अगर वे न्यायालय में न्याय के लिए लड़ते रहे और अंततः जीतते रहे, तो वे मूर्ख साबित होंगे क्योंकि 20 या 30 वर्षों के बाद कोई मामला जीतते ही अपराधी को वास्तविक लाभकारी बना देंगे, जिसने उन सभी वर्षों के लिए लाभ उठाया था। इस प्रकार, यह देखना न्यायालयों का कर्तव्य कि ऐसे अपराधियों को हर कदम पर हतोत्साहित किया जाए और यदि वे अपनी धन शक्ति के कारण मुकदमेबाजी को लंबा खींचने में सफल हो जाते है , तो अंततः उन्हें इन सभी वर्षो के मुकदमेंबाजी के खर्चों का सामना करना पड़ेगा।स्थापित कानूनी स्थितियों के बावजूद, स्पष्ट रूप से गलत काम करने वाले एक के बाद एक न्यायिक समीक्षा तंत्र का उपयोग जुए के रूप में करते हैं, पूरी तरह से जानते हुए कि पासा हमेशा उनके पक्ष में होता है क्योंकि अगर वे हार जाते हैं, तो प्राप्त समय ही वास्तविक लाभ होता है।इस स्थिति को अदालतों द्वारा लाभ लिया जाना चाहिए।

176. दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध, इस न्यायालय में अपील (सिविल) के लिए विशेष अनुमति (2008) सं. 29197/2008 को वरीयता दिया

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया था।न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया [पद्मवती बनाम हरिजन सेवक संघ , (2012) 6 SCC 460]:, (2012) 6 एससीसी 460]:

> 1. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वत वकील को सुना है।हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

* * * *

183. मार्शल सन्स एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम साही ओरेट्रान्स (पी) लिमिटेड [(1999) 2 एससीसी 325] में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त किया हैः (एससीसी पृष्ठ 326–27)

> 4. यह सत्य है कि कार्यवाही को लम्बे समय से खींचा जा रहा है या दूसरी तरफ, किसी भी अवसर पर बिना डरे इसे एक विधिक जाल में फसा कर इसे प्रत्येक स्तर पर न खत्म होने वाली प्रक्रिया को इतना कठिन बना दिया जाता विलंब के कारण, कार्यवाही के बेईमान पक्षकार अनुचित लाभ उठाते हैं और जिस व्यक्ति के पास गलत कब्जा होता है, वह प्रक्रियागत जटिलताओं का अनुचित लाभ उठाकर मामलों के निपटान में विलंब में प्रसन्नता प्राप्त करता है। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त करने के बाद इसके निष्पादन में लंबा समय लगता है।ऐसी स्थिति में, निर्णय देने वाले–लेनदार के हितों की रक्षा के लिए, उचित आदेश पारित करना आवश्यक है ताकि किसी व्यक्ति द्वारा उचित लाभ का भुगतान किया जा सके जो बाजार किराए के बराबर हो सकता है।उपयुक्त मामलों में न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है और उस व्यक्ति को रिसीवर के एजेंट के रूप में कार्य आदेश का निर्देश दे सकता है, जो रिसीवर द्वारा निर्धारित रॉयल्टी राशि जमा आदेश या ऐसा अन्य आदेश पारित आदेश

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

का निर्देश दे सकता है, जो न्याय के हित को पूरा करे।यह अभियोक्ता को, जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, आगे होने वाली क्षति को रोक सकता है और संपत्ति की रक्षा कर सकता है, जिसमें और अन्यसंक्रामण भी शामिल है।

184. औसेफ मथाई बनाम एम. अब्दुल खादिर [(2002) 1 एस. सी. सी. 319] में इस न्यायालय ने विधिक स्थिति को दोहराया किः (एससीसी पृष्ठ 328, पैरा 13)

> 13. अदालत द्वारा दिया गया स्टे किसी पक्ष को अधिकार प्रदान नहीं करता है और यह हमेशा अदालत में मामले के अंतिम परिणाम के अधीन और स्थगन प्राप्त करने वाले पक्ष के जोखिम और लागत पर दिया जाता है।मुकदमा खारिज होने के बाद संबंधित पक्ष उस स्थिति में चला जाता है जो न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले थी और जिसने स्थगन मंजूर किया था।स्थगन की मंजूरी स्वतः ही सांविधिक संरक्षण के विस्तार के समान नहीं है। '

अन्य निर्णय भी हैं, जो इसी सिद्धांत को दोहराते हैं और लागू करते हैं।भारतीय पर्यावरण–विधिक कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ, (2011) 8 एससीसी 161, ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम सीआईटी, (1980) 2 एससीसी 191, इंजेक्शन रामकृष्ण 61 वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1992) 2 एससीसी 620. मार्शल सन्स एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम साही ओरेट्रांस (पी) लिमिटेड, (1999) 2 एससीसी 620[325]।

338. कोई अपराधी या वर्तमान संदर्भ में, कोई वादकारी जो अपना जोखिम उठाता है, को विलम्ब करने की युक्तियों द्वारा लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह न्यायिक प्रणाली का कर्तव्य है कि वह न्यायालय को एक औजार के रूप में उपयोग करके अनुचित लाभ उठाने या अनुचित लाभ उठाने को हतोत्साहित करे। कलभारती एडवरटाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया [(2010) 9 एससीसी

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

437] में, यह देखा गया कि न्यायालयों को अंतरिम आदेशों के अनुसरण में पारित परिणामी आदेशों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने में सावधान रहना चाहिए। अंतरिम उपाय के रूप में राहत प्राप्त करने और योग्यता के गुणावगुण के आधार पर मामले के न्यायनिर्णयन से बचने के लिए वादियों के बीच बढ़ते रुझान को रोकने के लिए ऐसे निर्देश आवश्यक हैं।इस प्रकार, प्रतिस्थापन सिद्धांत इस विचार को मान्यता देता है और उसे आकार देता है कि किसी वादकारी द्वारा न्यायालय के आदेशों के कारण, उसके इशारे पर, प्राप्त लाभ को कायम नहीं रखा जाना चाहिए–यह विपुल या क्रमिक वादकारी को बार–बार अदालतों में जाने और दूसरों के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा–जिसमें अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्यों को कम करना भी शामिल है।उदाहरण के लिए, एक अलग दृष्टिकोण का अर्थ होगा कि जहां दो भू–स्वामियों (एक ही अधिसूचना द्वारा उनकी भूमि से विस्थापित किया जाना चाहता है) को मुआवजा दिया जाता है, जिनमें से एक मुद्दे को अंतिम रूप देने की अनुमति देता है–और दूसरा अधिग्रहण के अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य को रोकने के लिए, एक या मुकदमेबाजी की श्रृंखला दायर करने का प्रयास करता है, जिस विचाराधीनता रहने के दौरान अंतरिम आदेश जारी हो सकता है और धाराकारों को बाध्य कर सकता है, तो बाद में लाभ होगा और धारा 24 (2) के तहत मानद व्यपगत शर्त के साथ पुरस्कृत किया जाएगा।इस न्यायालय की राय में, ऐसा परिणाम कभी भी संसद द्वारा आशयित नहीं था, इसके अलावा, प्रतिवादकारी सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि वादकारी द्वारा प्राप्त लाभ को दूसरे पक्ष के पक्ष में उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

339. कृष्णास्वामी एस. पी. डी. बनाम भारत संघ [(2006) 3 एस. सी. सी. 286] में यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालय की अनजाने में हुई गलती, जो किसी भी पक्षकार के हेतुक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, को अवश्य और केवल उसी के द्वारा सुधारा जा सकता है। इस प्रकार, हमारी राय में, जिस अवधि के लिए अंतरिम आदेश ने धारा 24 के तहत काम किया है, उसे उपरोक्त विभिन्न कारणों से धारा 24 (2) के तहत 5 साल की अवधि की गणना करने के लिए बाहर रखा जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12.उपर्युक्त टिप्पणियों का सारांश और सार इस प्रकार है –

(i). अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए पांच साल का समय प्रदान किया जाता है, न कि मामले पर समय बर्बाद करने के लिए;

(ii). केवल सुस्ती या निष्क्रियता और अधिकारियों की ओर से चूक के मामलों में और किसी अन्य कारण से अधिग्रहण की चूक नहीं हो सकती है।

(iii).भूमि अधिग्रहण आदेश वाले प्राधिकारियों द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में ही अधिग्रहण की अवधि समाप्त हो जाती है, न कि किसी अन्य कारण से या अदालत के आदेश से समाप्त हेाती है।

(iv) अधिनियम, 2013 की धारा 69 के तहत प्रदान किए गए 12% की दर से अतिरिक्त मुआवजे को किसी भी अदालत के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही की अवधि से बाहर रखा गया है;

(v) यदि अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारियों के लिए, किसी भी कारण से, जो उनके या सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं है, आवश्यक कदम उठाना संभव नहीं है, तो अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

(vi) यदि न्यायालय के आदेश द्वारा प्राधिकारियों को रोका जाता है, तो स्पष्ट रूप से, ऐसी अवधि के उपबंधों की व्याख्या के अनुसार 'संक्षेप' को अपवर्जित किया जाना चाहिए

(vii) अधिनियम, 2013 का आशय केवल भू–स्वामियों को लाभ पहुंचाना नहीं है।धारा 24 के प्रावधान अपने आप में मुकदमा करने वाले पक्षों को लाभ प्रदान करने का इरादा नहीं रखते हैं, जबकि अधिनियम, 2013 की धारा 114 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के अनुसार मामले को अधिनियम 1894, के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना है। यह अधिनियम, 2013 का संशोधन नहीं है कि जिन लोगों ने अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दिया है, उन्हें धारा 24 के तहत अनुशंसित उच्च मुआवजे का लाभ मिलना चाहिए

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ix) उपबंधों से यह आशय नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने मुकदमा दायर किया है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दीवानी न्यायालयों या उच्च न्यायालय से वाद दायर करके अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं, उन्हें अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त होना चाहिए, सिवाय उस सीमा तक जहां तक विशेष रूप से अधिनियम, 2013 के तहत प्रावधान किया गया है

(x) ऐसे मामलों में जहां कुछ भूस्वामियों ने मुकदमेबाजी का सहारा लेना चुना है और अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है या यथास्थिति के आदेशों का कब्जा लेने या आदेशों को व्यावहारिक वास्तविकता के रूप में या सरकार के लिए कब्जा या भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान करना संभव नहीं है। कई मामलों में, इस तरह के अंतरिम आदेशों ने एक पंचाट पारित करने में भी बाधा डाली है

(xi). तथापि, जहां तक पंचाटों का संबंध है, अधिनियम, 2013 (sic 1894 अधिनियम) के अधीन पंचाट देने के लिए उपबंधित अवधि को धारा 11–क के स्पष्टीकरण के आधार पर अपवर्जित किया जा सकता है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि दो वर्ष की अवधि की संगणना आदेश में, वह अवधि जिसके दौरान घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, को अपवर्जित किया जाएगा।

(xii) भू–स्वामियों द्वारा शुरू किए गए मुकदमेबाजी का विनिश्चय स्वयं अपने गुणों के आधार पर किया जाना है और धारा 24 (2) के लाभ मुकदमेबाजों को सीधे तरीके से उपलब्ध नहीं होने चाहिए।यदि कोई अंतरिम आदेश नहीं है, तो उन्हें वे लाभ मिल सकते हैं जिनके वे हकदार हैं, अन्यथा नहीं।विलंब और विलंबकारी रणनीति और कभी–कभी पूरी तरह से निरर्थक दलीलों के परिणामस्वरूप अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप–धारा (1) के तहत भूमि मालिकों को लाभ नहीं हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकार का आदेश प्राधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई को रोक देगा, जब अधिग्रहण की चुनौती लंबित है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(xiv) भूस्वामियों के मामलों में से एक में दिए गए स्थगन का अंतरिम आदेश अधिकारियों को घोषणा जारी करने के लिए आगे बढ़ने के लिए पूर्ण संयम का कारण बनेगा;

(xv) जब प्राधिकारियों को असंभव के कारण कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया जाता है, तो यह उनके लिए धारा 24 के उपबंधों की कठोरता से बचाने के लिए पर्याप्त बहाना होगा।किसी वादकारी के पास अच्छा या बुरा कारण हो सकता है, चाहे वह सही हो या गलत।लेकिन न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित अंतरिम आदेश के माध्यम से उसके द्वारा बनाई गई स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।हालांकि धारा 24 भूस्वामियों के बीच भेदभाव नहीं करती है जो वादी या प्रतिवादी है उनकों उसी अधिग्रहण के संबध में उनके साथा अलग अलग व्यवहार करती है, लेकिन यह आवश्यक है कि उन सभी को संसद के दृष्टिकोण से देखा जाये।अन्यथा, विषम परिणाम हो सकते हैं और प्रावधान अपने आप में भेदभावपूर्ण हो सकते हैं

(xvi) कानून असंभव के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करता है(xvii) न्यायालय का कोई कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(xviii). कोई पक्षकार अपने नियंत्रण से परे कतिपय परिस्थितियों में कोई कार्य करने से निवारित किया जाता है तो वह पश्चात्वर्ती अवसर पर ऐसा कर सकता है।

(xix). जब विधि के किसी भाग को करने के लिए कोई विकलांगता है, तो ऐसे प्रभार को क्षमा किया जाना चाहिए।जब किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन उन परिस्थितियों के कारण असंभव हो जाता है जिन पर संबंधित व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसे एक वैध बहाने के रूप में लिया जाना चाहिए

(xx) न्यायालय अपनी निहित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय के कार्य द्वारा प्रतिवादियों को हुए नुकसान को शमन करने के लिए कर्तव्य निभा सकता है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(xxi) कोई भी व्यक्ति न्यायालय के कार्य से पीड़ित नहीं हो सकता है और अंतरिम आदेश के अनुचित लाभ को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए।

(xxii) किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को प्रतिकूल स्थिति में डालने के लिए न्यायालय के आदेश के आवरण के अधीन आश्रय लेने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है।

(xxiii) यदि किसी ने न्यायालय के आवरण का उपभोग किया है, तो धारा 24 के अधीन अपेक्षित कदम उठाने के लिए प्राधिकारियों की निष्क्रियता की दिशा में उस अवधि को शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य प्राधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के बिना प्रतिकर का अवधारण आदेश के लिए कार्य किया होता और पंचाट पारित किया होता।

13. दलीलों का खारिज करते हुए कहा कि धारा 24 का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो उस अवधि को अपवर्जित करता है जिसके दौरान कोई अंतरिम आदेश प्रवर्तन में था, राज्य को अधिगृहीत भूमि का कब्जा लेने से या अधिनिर्णय को प्रभावी करने से रोकता है, यह मत व्यक्त किया गया है और 67 किसी विशेष मामले या मामलों में, पांच वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी अवधि या अवधियों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

14. उपर्युक्त टिप्पणियां अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) का निर्वचन करते समय और उस पर विचार करते समय उपयुक्त रूप से लागू होंगी।दूसरे शब्दों में, क्या न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन और अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत पंचाट की घोषणा नहीं करने वाले प्राधिकरण के कारण और अधिनियम, 2013 के लागू होने के समय अंतरिम स्थगन जारी रहने के कारण, ऐसे वादियों, जिन्हें अंतरिम आदेश से लाभ मिला है, को इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है और उसके बाद प्रार्थना की जा सकती है कि ऐसी स्थिति में, उन्हें नए अधिनियम, 2013 के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा? यह विवादित नहीं हो सकता है कि अधिनियम, 1894 के तहत देय मुआवजे की मात्रा और अधिनियम, 2013 के तहत देय मुआवजे

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के बीच बहुत बड़ा अंतर होगा।यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण पंचाट की घोषणा नहीं करने में प्राधिकरण की ओर से कोई निष्क्रियता थी.अतः क्या राज्य और सरकारी खजाने को उस स्थिति में नुकसान उठाना चाहिए जब प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार घोषित करने में कोई निष्क्रियता नहीं बरती गई है? अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) को अधिनियमित करते समय संसद का इरादा किसी वादकारी को लाभ देने का नहीं हो सकता है, जिसने स्थगन स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और उसके कारण पंचाट घोषित नहीं किया जा सकता है और उसके बाद वादकारी को अधिनियम, 2013 के अनुसार मुआवजा दिया जा सकता है। इससे उन भू–स्वामियों के बीच भी भेदभाव हो सकता है जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई है।एक उदाहरण लीजिए, जैसा कि वर्तमान मामले में, 2022 की दीवानी याचिका सं 2915 में, यहां प्रतिवादी के स्वामित्व वाले तीन भूखंडों सहित विभिन्न भू–स्वामियों से कुल 17.172 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था.इसमें अकेले प्रतिवादी को अंतरिम आदेश दिया गया और उसके कारण, केवल तीन भूखंडों के संबंध में अधिनिर्णय घोषित नहीं किया जा सका और उसी अधिसूचना के तहत शेष भूमि के संबंध में, अधिनिर्णय घोषित किए गए और मुआवजे का भुगतान अधिनियम, 1894 के तहत किया गया.अतः यदि प्रत्यर्थी जो यहां प्रतिवाद कर रहें है को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है तो उन्हें अधिनियम २०१३ के आधार पर आवश्यक मुआवजे प्रदान किया जाना चाहिए, यदि उस तिथी तक जब अधिनियम २०१३ अधिनियमित नहीं हुआ था तब तक मुआवजें का निर्धारण नहीं हुआ तो ऐसी स्थति में उसी अधिसूचना के तहत भूमि मालिक को दो अलग अलग मुआवजे के हकदार होगें एवं यह उन सभी भूमि मालिकों के साथ भेदभाव होगा जिनकी भूमि का अधिग्रहण इसी अधिसूचना के तहत किया गया है जो हमारे विधि निर्माताओं का कभी भी इरादा नहीं था।

15. इंदौर विकास प्राधिकरण (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने भी प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को लागू किया।यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रत्यास्थापन का सिद्धांत मुकदमेबाजी के अंत में पूर्ण न्याय करने के आदर्श पर आधारित है और किंतु मुकदमेबाजी और मामले में पक्षकारों को पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए उसी स्थिति में रखा जाना है। प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह आगे कहा गया है कि कोई भी पक्षकार मुकदमेबाजी का लाभ नहीं उठा सकता

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है।आगे यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यास्थापन का सिद्धांत न्याय, समता और निष्पक्षता के नियम की सांविधिक मान्यता है।न्यायालय को पूर्ण न्याय आदेश के लिए प्रत्यास्थापन का आदेश देने के निहित अधिकार क्षेत्र है।यह इस सिद्धांत पर भी है कि कोई असफल वादकारी, जिसे अंतरिम आदेश का लाभ प्राप्त है, प्रारंभ में अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करके और बाद में अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक मुआवजे की मांग करके अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन पर इसका लाभ नहीं उठा सकता है।हम इस कारण से ऐसा कहते हैं कि यदि किसी भू–स्वामी के कहने पर, जिसने अधिग्रहण को चुनौती दी है, एक न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, तो अधिग्रहण या अधिग्रहण अधिसूचना की कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी.तब कोई भी मुआवजा निर्धारित करने का अवसर नहीं होगा।लेकिन दूसरी ओर, यदि कोई भू–स्वामी, जिसके पास अधिग्रहण को चुनौती देने के दौरान अंतरिम आदेश का लाभ है, असफल रहता है, तो वह यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए, जबकि एक भू–स्वामी, जिसे किसी अंतरिम आदेश का लाभ नहीं मिला था, को अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाता है, जो अधिनियम, 2013 के तहत गणना की जाने वाली राशि से कम है।

15. 1 गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड, (2012) 3 एससीसी 522 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए, यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के विरुद्ध एक उपचार है। **ए. शनमुगम बनाम अरिया क्षत्रिय राजकुल वंशथु मदालय नंदवन परिपालनाई संगम, (2012) 6 एस. सी. सी. 430** के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि मुकदमेबाजी के लाभ को बेअसर करने के लिए प्रतिस्थापन अधिकार क्षेत्र प्रत्येक न्यायालय में अंतर्निहित है। यदि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो मुकदमेबाजी के प्रभावों के कारण कानून के सही पक्ष के व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए और तुच्छ मुकदमेबाजी के अनुचित लाभ को समाप्त करना होगा।

16. इसलिए, प्रतिस्थापन के सिद्धांत को भी लागू करना, जैसा कि निम्नलिखित द्वारा लागू होता है इस न्यायालय ने **इंदौर विकास प्राधिकरण उपरोक्त के मामले में**, भूमि मालिकों को उनके द्वारा प्राप्त

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अंतरिम आदेश का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके कारण प्राधिकरण अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत पंचाट घोषित नहीं कर सका और उसके बाद यह तर्क दिया कि इस मामले की दृष्टि से, उन्हें अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत मुआवजा दिया जाएगा, जिसके तहत अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित करने पर उन्हें अधिक मुआवजा उपलब्ध होगा।

71 निष्कर्ष: –

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, यह निम्नलिखित रूप में देखा गया है: –

(i) यह निष्कर्ष निकाला गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने की तारीख को, किसी कार्यवाही विचाराधीनता होने और/या न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन के कारण अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई पंचाट घोषित नहीं किया गया है, ऐसे भूमि मालिक अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) के तहत मुआवजे के हकदार नहीं होंगे और वे केवल अधिनियम, 1894 के तहत ही मुआवजे के हकदार होंगे।

18. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कारणों से और हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इन सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द एवं अपास्त किए जाते हैं।संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी (ओं) को अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत विचाराधीन भूमि के संबंध में पचांट घोषित करने और अधिनियम, 2013 की धारा 114 के साथ पढ़ी गयी सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण करता है, जहां भी लागू हो और मूल भूस्वामियों को अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत तदनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि भू –स्वामी अधिनियम, 1894 के पंचाट के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तहत घोषित मुआवजे के निर्धारण से व्यथित हैं, तो वे केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत मुआवजा बढ़ाने के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं।

इसके साथ ही वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

... ...

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

... ...

[बी. वी. नागरत्न]

नई दिल्ली

20 मई, 2022

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।